

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय



वार्षिक लेखा

2024-25

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
1	तुलन पत्र	1
2	आय एवं व्यय लेखा	2
31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र की अनुसूचियाँ		
3	अनुसूची 1- पूँजीगत निधि	3
4	अनुसूची 2- निर्दिष्ट उद्दिष्ट / अक्षय निधि	4-5
5	अनुसूची 2क-अक्षय निधि एवं पीठ (चेयर)	6-7
6	अनुसूची 3- वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान	8
7	अनुसूची 3.6 (ख) प्रायोजित परियोजनाओं के निमित्त प्राप्तियां	9
8	अनुसूची 3.6 (ग) प्रायोजित अध्येतावृत्तियों के निमित्त प्राप्तियां	10
9	अनुसूची 3.6 (घ) यूजीसी तथा भारत सरकार की ओर से अप्रयुक्त अनुदान	11
10	अनुसूची 4- स्थायी परिसंपत्ति	12
11	अनुसूची 4क- अमूर्त परिसंपत्ति (इंटेजिबल एसेट्स)	13
12	अनुसूची 4ख- पेटेन्ट्स एवं कॉपीराइट	14
13	अनुसूची 4ग- स्थायी परिसंपत्ति (अन्य)	15
14	अनुसूची 5- निर्दिष्ट उद्दिष्ट / अक्षय निधि से निवेश	16
15	अनुसूची 6 - निवेश - अन्य	17
16	अनुसूची 7- वर्तमान परिसंपत्ति	18
17	अनुसूची 7 का संलग्नक-क	19-20
18	अनुसूची 8- ऋण, अग्रिम एवं जमा राशि	21
31 मार्च, 2025 को समाप्त हुए वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा की अनुसूचियाँ		
18	अनुसूची 9- शैक्षिक प्राप्तियां	22
19	अनुसूची 10 अनुदान/सहायिकी (अविकल्पी अनुदान तथा प्राप्त सहायिकी)	23
20	अनुसूची 11- निवेश से आय	24
21	अनुसूची 12- अर्जित ब्याज	25
22	अनुसूची 13- अन्य आय	26

23	अनुसूची 14- पूर्व अवधि की आय	27
24	अनुसूची 15- स्थापना खर्च	28
25	अनुसूची 15क- कर्मचारी सेवानिवृत्ति तथा सेवांत हितलाभ	29
26	अनुसूची 16- शैक्षिक खर्च	30
27	अनुसूची 17- प्रशासनिक खर्च एवं सामान्य खर्च	31
28	अनुसूची 18- परिवहन खर्च	32
29	अनुसूची 19- मरम्मत एवं रखरखाव	33
30	अनुसूची 20- वित्त लागत	34
31	अनुसूची 21- अन्य खर्च	35
32	अनुसूची 22- पूर्व अवधि के खर्च	36

31 मार्च, 2025 को समाप्त हुए वर्ष के लेखाओं की अनुसूचियाँ

33	अनुसूची-22 महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ	37-45
34	अनुसूची-23 आकस्मिक देयताएं एवं लेखा नोट	46-50

प्राप्ति एवं भुगतान लेखा

35	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष का प्राप्ति एवं भुगतान लेखा	51
----	---	----

भविष्य निधि एवं एनपीएस लेखा

36	31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार भविष्य निधि खाता-तुलनपत्र	52
37	31 मार्च, 2025 को समाप्त हुए वर्ष का भविष्य निधि खाता-आय एवं व्यय लेखा	53
38	वित्त वर्ष 2024-25 का भविष्य निधि खाता- प्राप्ति एवं भुगतान लेखा	54
39	एनपीएस टियर-1 खाता -तुलन पत्र (31 मार्च, 2025 के अनुसार)	55
40	एनपीएस टियर-1 खाता -31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष का आय एवं व्यय लेखा	56
41	एनपीएस टियर-1 खाता -वित्त वर्ष 2024-25 का प्राप्ति एवं भुगतान लेखा	57

लेखाओं के लेखा-परीक्षा

42	लेखाओं पर पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन	58-60
43	पृथक लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन पर विश्वविद्यालय की टिप्पणियाँ	61-65

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय

31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र

राश रु म			
देयताएं	अनुसूची	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
पूँजीगत निधि	1	-15,63,92,61,697	-14,87,84,19,439
निर्दिष्ट उद्दिष्ट / अक्षय निधि	2	2,56,03,07,952	2,21,56,91,500
वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान	3	22,85,91,86,907	21,64,83,46,003
कुल		9,78,02,33,162	8,98,56,18,064
परिसंपत्ति			
स्थायी परिसंपत्ति (नेट ब्लॉक)	4	3,76,25,02,911	3,61,91,16,763
मूर्त परिसंपत्ति		2,79,21,20,636	
चालू पूँजीगत कार्य		96,04,52,719	
अमूर्त परिसंपत्ति		99,29,556	
समग्र तथा उद्दिष्ट/अक्षय निधि से किए गए निवेश	5	2,23,96,33,726	1,76,87,38,165
सरकारी प्रतिभूतियां		6,01,61,296	
डिबेंचर तथा बॉण्ड्स (दीर्घावधि निवेश)		-	
अन्य बैंक एफडीआर (लघु अवधि निवेश)		2,17,94,72,430	
वर्तमान परिसंपत्ति	6	2,66,61,78,151	2,74,60,18,243
ऋण, अग्रिम एवं जमा राशि	7	1,11,19,18,374	85,17,44,893
कुल		9,78,02,33,162	8,98,56,18,064

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ
आकस्मिक देयताएं एवं लेखा नोट

महेश्वर
मयंक कश्यप

अनुभाग अधिकारी (लेखा)

22

23

शंकर धर

संयुक्त कुलसचिव (वित्त)

सुमन कुमार

डॉ सुमन कुमार

वित्त अधिकारी

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय

31 मार्च 2025 को समाप्त हुए वर्ष का आय एवं व्यय लेखा

	अनुसूची	चालू वर्ष	राशि रु. में पिछला वर्ष
क. आय			
शैक्षिक प्राप्तियां	8	8,63,38,171	6,39,04,468
अनुदान राशि / सहायिकियां	9	5,94,28,74,771	5,65,42,75,998
निवेश से प्राप्त आय	10	4,87,29,438	4,92,60,464
अर्जित व्याज	11	44,80,360	54,63,032
अन्य आय	12	11,04,36,991	10,12,66,560
पूर्व अवधि की आय	13	53,55,295	1,52,08,022
कुल (क)		6,19,82,15,026	5,88,93,78,544
ख. व्यय			
स्थापना खर्च	14	5,84,12,53,109	5,01,09,17,173
शैक्षिक व्यय	15	19,28,95,071	20,30,61,308
प्रशासनिक एवं सामान्य खर्च	16	97,94,93,484	89,78,40,279
परिवहन खर्च	17	9,43,955	10,73,266
मरम्मत एवं रखरखाव	18	5,67,90,416	4,84,90,491
वित्त लागत	19	18,55,476	21,87,027
अन्य खर्च	20	7,07,988	5,67,943
पूर्व अवधि के खर्च	21	2,91,27,543	20,66,95,897
मूल्यहास	4	15,67,01,562	14,71,72,441
कुल (ख)		7,25,97,68,603	6,51,80,05,824
खर्च से आय के अधिक होने के कारण शेष (क-ख)		-1,06,15,53,577	-62,86,27,280
अधिशेष / (घाटा) होने के कारण पूंजीगत निधि में अग्रणीत शेष		-1,06,15,53,577	-62,86,27,280

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां

22

आकस्मिक देयताएं एवं लेखा नोट

23

मयंक कश्यप

शंकर धर

सुमन कुमार

अनुभाग अधिकारी (लेखा)

मयुक्त कुलपति (वित्त)

डॉ सुमन कुमार

वित्त अधिकारी

31-03-2025 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र की अनुसूचियां

अनुसूची 1- पूंजीगत निधि

Amount in Rs.

विवरण	चालू वर्ष 2024-25	पिछला वर्ष 2023-24
वर्ष के प्रारंभ में शेष राशि	-14,87,84,19,439	-13,71,29,44,862
जमा: यूजीसी, भारत सरकार एवं राज्य सरकार से पूंजीगत व्यय हेतु प्रयुक्त अनुदान राशि	29,85,74,500	33,98,35,811
जमा: समग्र निधि एवं उद्दिष्ट निधि से खरीदी गई परिसंपत्ति	-	39,63,237
जमा: प्रायोजित परियोजना निधि से खरीदी गई परिसंपत्ति	18,75,232	21,78,894
जमा: दान दी गई परिसंपत्ति/प्राप्त उपहार	2,61,587	2,08,926
जमा: अन्य परिवर्धन	-	39,000
घटा: अन्य कटौती	-	88,30,73,166
कुल	-14,57,77,08,120	-12,48,36,45,827
(जमा) आय एवं व्यय लेखा से अंतरित अधिशेष/घाटा	-1,06,15,53,577	-62,86,27,280
वर्ष के अंत में शेष	-15,63,92,61,697	-14,87,84,19,439

अनुभाग अधिकारी (लेखा)

संयुक्त कुलसचिव (वित्त)

वित्त अधिकारी

निधि-वार विस्तृत ब्योरा

विवरण	शैक्षिक विकास निधि	गृह निर्माण अग्रिम निधि	निप्पन फाउंडेशन निधि	यूजीसी जेआरएफ निधि	वाहन निधि	एग्जिम बैंक पुस्तकालय निधि
क.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
क) आदि शेष	14,67,15,861	33,05,89,702	12,45,89,261	1,38,395	8,17,99,281	40,14,785
ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन/रिफंड	3,96,00,000	2,93,903	22,69,362	-88,126	6,06,780	-
ग) निधियों के निवेश से प्राप्त आय	32,37,050	36,06,315	32,01,452		3,70,610	-
घ) निवेश / अग्रिम राशि से प्राप्त ब्याज	37,15,767	27,173	47,22,573		61,214	-
ड) बचत बैंक खाते से प्राप्त ब्याज	8,91,688	3,067	2,643	1,367	1,944	1,09,270
कुल (क)	19,41,60,366	33,45,20,160	13,47,85,291	51,635	8,28,39,829	41,24,055

ख. निधि प्रयोजन के प्रति उपयोग / खर्च

1) पूंजीगत खर्च	-	-	-	-	-	-
2) राजस्व खर्च	-	-	23,98,452	-	-	-
कुल (ख)	-	-	23,98,452	-	-	-

वर्ष की समाप्ति पर अंत शेष (क - ख)	19,41,60,366	33,45,20,160	13,23,86,839	51,635	8,28,39,829	41,24,055
---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	--------------------	------------------

प्रतिनिधित्व:

रोकड़ एवं बैंक शेष	3,63,61,237	28,09,784	78,84,789	51,635	19,25,597	41,24,055
निवेश	15,33,64,494	30,37,17,938	11,97,79,477	-	5,79,81,212	-
ऑटो स्विप निवेश (एमओडी)	7,18,000	64,97,847	-	-	1,25,00,000	-
प्राप्त अशोध्य ब्याज	37,15,767	2,14,98,667	47,22,573	-	1,04,21,801	-
निधि में से अग्रिम राशि / प्राप्य राशि	,868	-4,076	-	-	11,219	-
कुल	19,41,60,366	33,45,20,160	13,23,86,839	51,635	8,28,39,829	41,24,055

अनुभाग अधिकारी (लेखा)

संयुक्त कुलसचिव (वित्त)

वित्त अधिकारी

निधि-वार विस्तृत ब्यौरा						
विवरण	राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति निधि	जेएनयू पूर्व छात्र अक्षय निधि	विश्वविद्यालय कायिक निधि	अक्षय निधि	चालू वर्ष 2024-25	पिछला वर्ष 2023-24
क.	(8)	(9)	(10)	(11)		Total (1 to 11)
क) आदि शेष	1,90,66,502	17,835	79,09,27,580	71,78,32,299	2,21,56,91,500	1,73,36,74,400
ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	-1,91,47,670	-	13,71,51,766	11,38,78,743	27,45,64,758	40,76,73,545
ग) निधियों के निवेश से प्राप्त आय		-		4,10,31,946	5,14,47,373	5,49,67,020
घ) निवेश / अग्रिम राशि से प्राप्त ब्याज	-	-	2,87,81,270	9,44,169	3,82,52,166	4,29,65,802
ड) बचत बैंक खाते से प्राप्त ब्याज	1,13,179	3,577	13,27,140		24,53,875	37,38,418
कुल (क)	32,011	21,412	95,81,87,757	87,36,87,157	2,58,24,09,672	2,24,30,19,185
ख. निधि प्रयोजन के प्रति उपयोग / खर्च						
1) पूंजीगत खर्च	-	-	-	-	-	39,63,237
2) राजस्व खर्च	-	-	29,24,252	1,67,79,016	2,21,01,720	2,33,64,448
कुल (ख)	-	-	29,24,252	1,67,79,016	2,21,01,720	2,73,27,685
वर्ष की समाप्ति पर अंत शेष (क - ख)	32,011	21,412	95,52,63,505	85,69,08,141	2,56,03,07,952	2,21,56,91,500
प्रतिनिधि						
रोकड़ एवं बैंक शेष	32,011	21,412	1,43,69,472	14,02,38,297	20,78,18,287	31,04,74,418
निवेश	-	-	88,90,70,414	71,57,20,191	2,23,96,33,726	1,77,46,14,739
ऑटो स्विप निवेश (एमओडी)	-	-	64,59,000	-	2,61,74,847	4,21,60,378
प्राप्त अशोध्य ब्याज	-	-	4,39,74,966	-	8,43,33,774	7,48,22,003
निधि में से अग्रिम राशि / प्राप्य राशि	-	-	13,89,653	9,49,654	23,47,318	1,36,19,962
वर्ष के अंत में अंत शेष (क - ख)	32,011	21,412	95,52,63,505	85,69,08,141	2,56,03,07,952	2,21,56,91,500

अनुभाग अधिकारी (लेखा)

संयुक्त कुलसचिव (वित्त)

वित्त अधिकारी

अनुसूची 2 क-अक्षय एवं पीठ

क्र.सं.	2. अक्षय (एंडोमेंट) का नाम	आदिशेष		वर्ष के दौरान परिवर्धन		7. जमा खाते पर ब्याज	कुल		10. वर्ष के दौरान ऑब्जेक्ट पर खर्च	अंतर्गण		कुल (11+12)
		3. एंडोमेंट	4. संचित ब्याज/अनुदान	5. एंडोमेंट/चेयर	6. निवेश पर ब्याज		8. एंडोमेंट	9. संचित ब्याज/अनुदान		11. एंडोमेंट	12. संचित ब्याज/अनुदान	
1	ए.एन. भद्र अक्षय निधि	93,830	79,551	-	2,943	3,094	93,830	85,588	-	93,830	85,588	1,79,418
2	ए. रमेश राव एंडोमेंट	10,00,000	7,64,624	-	67,154	32,142	10,00,000	8,63,921	54,000	10,00,000	8,09,921	18,09,921
3	एनुअल लेक्चर-जेएन फॉरि फॉलिसी	45,000	1,68,869	-	2,910	3,804	45,000	1,75,583	-	45,000	1,75,583	2,20,583
4	अप्यादु प्रोफेसरशिप इन इंटरनेशनल स्टडीज	28,00,000	71,59,459	-	1,93,494	1,78,154	28,00,000	75,31,107	-	28,00,000	75,31,107	1,03,31,107
5	ऑस्ट्रेलियन हाइ कमीशन	4,00,000	6,71,784	-	18,807	4,00,000	6,90,591	6,90,591	-	4,00,000	6,90,591	10,90,591
6	भगत सिंह पीठ	2,50,00,000	2,43,25,418	-	3,35,770	8,71,406	2,50,00,000	2,55,32,593	-	2,50,00,000	2,55,32,593	5,05,32,593
7	भारत सेवा श्रम संघ	6,00,000	10,88,397	-	-	29,626	6,00,000	11,18,023	-	6,00,000	11,18,023	17,18,023
8	बिंदु अग्रवाल-अर्पिता मिश्र पुरस्कार	50,000	63,602	-	-	1,993	50,000	65,596	-	50,000	65,596	1,15,596
9	सेंटर फॉर एल एंड डी फॉर फाउंडेशन	2,33,55,546	1,90,80,183	-	14,90,155	7,70,768	2,33,55,546	2,13,41,107	-	2,33,55,546	2,13,41,107	4,46,96,653
10	चेयर फॉर ट्राइबल स्टुडेंट्स	-	4,57,737	-	-	8,032	-	4,65,769	-	-	4,65,769	4,65,769
11	चेयर इन क्लेमिकल ग्रीक स्टडीज	85,50,744	1,49,98,938	26,51,100	4,16,355	4,20,532	85,50,744	1,84,86,924	17,27,846	85,50,744	1,67,59,078	2,53,09,822
12	कमोडोर एच.एल. परवाना इंडोमेंट	10,00,000	9,67,496	-	64,695	35,659	10,00,000	10,67,850	-	10,00,000	10,67,850	20,67,850
13	डी.एस. गवर्नीजी इंडोमेंट फंड/सेंटर फॉर एसएस	16,00,000	11,91,348	-	-	48,980	16,00,000	12,40,328	-	16,00,000	12,40,328	28,40,328
14	दरेंद्र कुमार गुप्त मेमोरियल गोल्ड मेडल	10,000	14,143	-	-	424	10,000	14,567	-	10,000	14,567	24,567
15	दिवाकर मेमोरियल अवार्ड इंडोमेंट	2,00,000	1,43,064	-	12,938	6,247	2,00,000	1,62,249	-	2,00,000	1,62,249	3,62,249
16	डॉ. जयश्री राव इंडोमेंट	5,00,000	7,15,747	-	33,577	21,922	5,00,000	7,71,246	-	5,00,000	7,71,246	12,71,246
17	डॉ. रफेल इरुजू-बीटा फर्नान्डिस	11,43,059	4,05,918	-	32,957	27,758	11,43,059	4,66,633	1,90,000	11,43,059	2,76,633	14,19,692
18	डॉ. एस.डी. शर्मा गोल्ड मेडल	15,000	20,670	-	970	643	15,000	22,283	-	15,000	22,283	37,283
19	डॉ. श्रीविद्या स्कॉलरशिप पुरस्कार	20,000	37,115	-	1,292	1,025	20,000	39,431	-	20,000	39,431	59,431
20	इंडोमेंट ऑफ लेट जे.सी. टंडन	2,00,000	3,02,541	-	13,431	9,054	2,00,000	3,25,026	-	2,00,000	3,25,026	5,25,026
21	इंडोमेंट ऑफ प्रो. मलाल, सीएफएस, एसएलएल एंड सीएस	10,000	16,487	-	-	465	10,000	16,952	-	10,000	16,952	26,952
22	जी. पार्थसारथी अक्षय निधि (एंडोमेंट फंड) फॉर सपोर्टिंग एससी/एसटी स्टुडेंट्स	13,79,041	31,85,914	-	-	80,101	13,79,041	32,66,016	-	13,79,041	32,66,016	46,45,057
23	जी.एस. सिंघल एंडोमेंट	2,00,000	2,37,335	-	12,953	7,901	2,00,000	2,58,189	10,000	2,00,000	2,48,189	4,48,189
24	गवर्नमेंट ऑफ ब्रह्मिन-एस्टेबलिशमेंट ऑफ चेयर	20,00,000	38,48,836	-	1,08,200	1,04,528	20,00,000	40,61,565	-	20,00,000	40,61,565	60,61,565
25	एच.सी. पांडे मेडल	50,000	41,607	-	3,234	1,664	50,000	46,505	-	50,000	46,505	96,505
26	इंदो रामा फेलोशिप फंड	100,000	1,77,366	-	6,715	4,985	100,000	1,89,066	-	100,000	1,89,066	2,89,066
27	आइवीआर चेयर एंडोमेंट - एसएचआरडी	-	11,34,468	-	-	19,907	-	11,54,375	-	-	11,54,375	11,54,375
28	जे.एस. खुराना एंडोमेंट	5,00,000	5,72,140	-	32,384	19,381	5,00,000	6,23,905	15,932	5,00,000	6,07,973	11,07,973
29	जवाहरलाल नेहरू प्रोफेसर चेयर/इनवायर्नमेंटल	44,76,322	17,71,850	-	2,29,244	1,13,659	44,76,322	21,14,753	2,09,121	44,76,322	19,05,632	63,81,954
30	जीन मॉनेट चेयर लेक्चर/सेमिनार एंडोमेंट	-	13,14,811	-	-	23,071	-	13,37,882	-	-	13,37,882	13,37,882
31	जवाहर प्लांट कमिटी-जीओआई	19,00,000	23,74,138	-	1,27,593	77,237	19,00,000	25,78,968	-	19,00,000	25,78,968	44,78,968
32	कन्नड़ भाषा पीठ	5,00,00,000	94,78,637	-	33,32,949	11,02,156	5,00,00,000	1,39,13,741	13,88,312	5,30,00,000	95,25,429	6,25,25,429
33	कनुप्रिया भारद्वाज पुरस्कार	20,000	28,707	-	1,292	877	20,000	30,877	-	20,000	30,877	50,877
34	कोरियन फाउंडेशन	65,71,000	50,47,087	-	4,26,535	2,11,347	65,71,000	56,84,969	-	65,71,000	56,84,969	1,22,55,969
35	लेट आदित्य सी. सेन फॉर स्पेशल स्टडीज	13,149	13,384	-	883	481	13,149	14,748	-	13,149	14,748	27,897
36	अम्बोडकर पीठ	-	-	54,42,663	-	-	-	54,42,663	53,84,307	-	58,356	58,356
37	स्वर्गीय जूही प्रसाद पुरस्कार	22,292	15,655	-	-	666	22,292	16,321	2,000	22,292	14,321	36,613
38	प्लानिंग कमीशन फॉर क्लिअरिंग ऑफ चेयर	1,35,00,000	99,10,236	-	8,52,855	4,25,745	1,35,00,000	1,11,88,837	5,76,712	1,35,00,000	1,06,12,125	2,41,12,125
39	मराठी चेयर एंडोमेंट	1,50,00,000	1,77,60,274	-	27,35,309	6,22,841	1,50,00,000	2,11,18,425	1,52,944	1,50,00,000	2,09,65,481	3,59,65,481

अनुभाग अधिकारी (लेखा)

संयुक्त कुलसचिव (वित्त)

वित्त अधिकारी

40	एस. जे. के. तारकराज मेमोरियल मेमोरियल फंड	1,59,920	3,36,219	-	10,739	8,894	1,59,920	3,55,853	-	1,59,920	3,55,853	5,15,773
41	नरुल हसल - इंडोमेंट ई एंड आरएफ स्कॉलरशिप	7,50,000	10,18,181	-	16,212	31,311	7,50,000	10,65,703	-	7,50,000	10,65,703	18,15,703
42	गुफलल कमार पौनी इंडोमेंट	5,00,000	4,47,516	-	32,348	17,194	5,00,000	4,97,058	-	5,00,000	4,97,058	9,97,058
43	प्रो. अण्णादे एंड लक्ष्मी अण्णादे ट्रस्ट	1,36,888	2,77,305	-	6,468	7,381	1,36,888	2,91,154	-	1,36,888	2,91,154	4,28,042
44	प्रो. इलीयस मिर अबार्दे	25,000	46,515	-	1,616	1,283	25,000	49,414	-	25,000	49,414	74,414
45	प्रो. जी. के. चड्ढा इंडोमेंट	5,00,000	2,83,343	-	32,348	14,313	5,00,000	3,30,004	5,000	5,00,000	3,25,004	8,25,004
46	प्रो. स्वर्गीय उर्मिला फडनिस इंडोमेंट	10,000	14,124	-	672	435	10,000	15,230	-	10,000	15,230	25,230
47	प्रो. मारकंडे गोल्ड मेडल	10,000	17,811	-	1,343	512	10,000	19,665	-	10,000	19,665	29,665
48	प्रो. पी. एन. श्रीवास्तव इंडोमेंट	11,98,655	7,65,731	-	3,147	34,524	11,98,655	8,03,403	-	11,98,655	8,03,403	20,02,058
49	प्रो. टी. के. उम्मन इंडोमेंट/सेटर फॉर स्टडी सिस्टम/एसएसएस	100,000	68,062	-	6,482	3,063	100,000	77,607	10,000	100,000	67,607	1,67,607
50	रेलवे बोर्ड (अशोक गुहा)	98,50,000	46,40,226	-	5,27,159	2,63,510	98,50,000	54,30,895	1,16,389	98,50,000	53,14,506	1,51,64,506
51	राजीव गांधी पीठ	1,15,00,000	1,43,52,373	-	7,51,922	4,66,826	1,15,00,000	1,55,71,121	-	1,15,00,000	1,55,71,121	2,70,71,121
52	रमन पौनी इंडोमेंट	6,11,628	5,69,423	-	34,329	21,326	6,11,628	6,25,078	-	6,11,628	6,25,078	12,36,706
53	आरबीआई इंडोमेंट चेयर	5,55,74,320	1,06,54,025	-	38,39,758	12,29,486	5,55,74,320	1,57,23,269	16,631	5,55,74,320	1,57,06,638	7,12,80,958
54	सज्जाद जहीर एंड राजिर सज्जाद पुरस्कार	100,000	42,552	-		2,501	100,000	45,053	-	100,000	45,053	1,45,053
55	सरोजिनी नायडू मेमोरियल फंड	30,608	1,23,236	-	1,245	2,721	30,608	1,27,202	-	30,608	1,27,202	1,57,810
56	शीला बुद्धिंग-फेलोशिप सेटर फॉर एसएस	25,000	30,676	-	1,679	1,006	25,000	33,362	-	25,000	33,362	58,362
57	शिशिर गुप्ता मेमोरियल फंड	14,040	42,683	-	943	1,012	14,040	44,638	-	14,040	44,638	58,678
58	श्रीमती कैलाश हंस भल्ला इंडोमेंट	5,00,000	2,19,377	-	32,384	13,191	5,00,000	2,64,952	16,524	5,00,000	2,48,428	7,48,428
59	श्री राम मेमोरियल प्राइज फंड	9,946	36,010	-	427	814	9,946	37,251	-	9,946	37,251	47,197
60	सुलक्षणा देवी महाजन मेमोरियल प्राइज फंड	6,100	28,659	-	396	617	6,100	29,672	-	6,100	29,672	35,772
61	देगार सोसायटी/मैडम किम यांग शिक इंडोमेंट	5,00,000	5,67,542	-		18,732	5,00,000	5,86,274	-	5,00,000	5,86,274	10,86,274
62	तमिल विकास पीठ	5,50,00,000	1,28,61,861	-	33,39,683	12,49,374	5,50,00,000	1,74,50,919	2,93,856	5,70,00,000	1,51,57,063	7,21,57,063
63	तैदुलकर ट्रस्ट	84,641	2,77,685	-	3,108	6,412	84,641	2,87,205	-	84,641	2,87,205	3,71,846
64	विमला सारन मेमोरियल कॉर्पस फंड	30,000	27,770	-	2,015	1,049	30,000	30,834	-	30,000	30,834	60,834
65	ओडिशा पीठ (चेयर)	4,46,00,000	83,62,349	-	29,10,515	9,80,402	4,46,00,000	1,22,53,266	17,97,283	4,46,00,000	1,04,55,983	5,50,55,983
66	सुनगुम सुधार स्कॉलरशिप इंडोमेंट	3,00,00,000	1,06,22,116	-	20,14,619	7,48,147	3,00,00,000	1,33,84,883	6,57,354	3,00,00,000	1,27,27,529	4,27,27,529
67	सीजेएस एलुमनी एंड एन्युअल मेमोरियल लेक्चर	7,91,888	2,65,620	-	-	18,556	7,91,888	2,84,176	64,582	7,91,888	2,19,594	10,11,482
68	शारदा प्राइज इंडोमेंट	11,00,000	5,36,836	-	-	28,722	11,00,000	5,65,557	-	11,00,000	5,65,557	16,65,557
69	नमस्ते गर्वर्नर्स अरुणाचल एंड नगालैंड	5,00,000	1,82,232	-	-	11,971	5,00,000	1,94,203	56,911	5,00,000	1,37,292	6,37,292
70	आईसीएम की डी ए एस पेंटल विशिष्ट वैज्ञानिक पीठ	-	16,531	-	-	290	-	16,821	-	-	16,821	16,821
71	एस्तो पीठ	-	-	38,86,980	-	-	-	38,86,980	36,01,780	-	2,85,200	2,85,200
72	मनोज के.आर श्रीवास्तव गोल्ड मेडल इंडोमेंट	5,00,000	63,391	-	31,214	10,434	5,00,000	1,05,038	8,984	5,00,000	96,054	5,96,054
73	एसीएनएसएस चेयर ऑफ एक्सिलेंस इंडोमेंट	2,00,00,000	34,17,303	-	12,48,616	4,32,813	2,00,00,000	50,98,732	-	2,00,00,000	50,98,732	2,50,98,732
74	अरुण विपाठी फाउंडेशन इंडोमेंट	20,00,000	2,04,108	-	-	38,676	20,00,000	2,42,783	-	20,00,000	2,42,783	22,42,783
75	असम गर्वर्नमेंट	10,10,00,000	1,03,07,452	-	-	19,53,113	10,10,00,000	1,22,60,566	-	10,10,00,000	1,22,60,566	11,32,60,566
76	निर्माण फाउंडेशन	58,76,574	5,99,728	-	-	1,13,640	58,76,574	7,13,368	-	58,76,574	7,13,368	65,89,942
77	छत्रपति शिवाजी सेटर फॉर सेक्योरिटी इंडोमेंट	-	-	10,00,00,000	17,28,000	17,85,023	10,00,00,000	35,13,023	3,30,510	10,00,00,000	31,82,513	10,31,82,513
78	राष्ट्र राजन कृष्णन सेंट्रली इंडोमेंट	-	-	10,48,000	-	17,547	10,00,000	65,547	28,000	10,00,000	37,547	10,37,547
79	स्वर्गीय प्रो. शिवा गुप्त मुखर्जी इंडोमेंट	-	-	8,50,000	-	14,038	8,00,000	64,038	64,038	8,00,000	(0)	8,00,000
कुल		50,59,20,191	21,19,12,108	11,38,78,743	2,71,18,173	1,48,57,942	60,77,20,191	26,59,66,966	1,67,79,016	61,27,20,191	24,41,87,950	85,69,08,141

अनुभाग अधिकारी (लेखा)

संयुक्त कुलसचिव (वित्त)

वित्त अधिकारी

अनुसूची 3- वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान

क. वर्तमान देयताएं	चालू वर्ष 2024-25	पिछला वर्ष 2023-24
1 स्टाफ की ओर से जमा राशि	40,09,708	40,52,499
2 छात्रों की ओर से जमा राशि	35,22,378	40,93,952
3 विविध देनदार		
क) माल (सामान) हेतु		-
4 जमा राशि - अन्य (बयाना राशि, जमानत राशि सहित)		
क) बयाना राशि (ईएमडी)	7,29,761	13,74,830
ख) जमानत राशि	50,71,103	22,13,795
ग) अन्य जमा राशि	9,26,38,114	10,13,01,605
5 वैधानिक देयताएं (जीआइएस, जीपीएफ, सीपीएफ, टीडीएस, कार्य संविदा कर, आदि)		
क) अतिदेय	-	-
ख) अन्य	8,49,42,726	5,25,54,966
6 अन्य वर्तमान देयताएं		
क) वेतन	25,51,81,687	27,18,79,235
ख) चालू प्रायोजित / परामर्श / परियोजनाओं के निमित्त प्राप्तियां	77,40,01,518	71,55,28,311
ग) प्रायोजित अध्येतावृत्ति एवं छात्रवृत्तियों के निमित्त प्राप्तियां	38,23,63,880	36,01,08,740
घ) अप्रयुक्त अनदान राशि	21,46,54,138	43,25,79,917
ड.) अन्य देयताएं	5,01,77,797	8,87,82,499
च) हेफा ऋण	38,71,51,000	-
छ) केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडबल्यूडी) को देय	90,59,000	-
ज) भुगतान के लिए प्रतीक्षित अन्य निधियों से अंतरण	34,76,44,690	52,12,44,690
झ) यूजीसी को प्रतिदेय (रिफंडेबल)	-	20,91,00,000
7 अग्रिम स्वरूप प्राप्त आय	1,56,22,880	1,62,16,789
कुल (क)	2,62,67,70,380	2,78,10,31,826
ख) प्रावधान	चालू वर्ष 2024-25	पिछला वर्ष 2023-24
1. अधिवर्षिता / पेंशन	17,76,41,52,281	16,53,44,94,500
2. उपदान (ग्रेचुएटी)	1,05,90,21,263	1,00,10,67,244
3. छुट्टी नकदीकरण	1,40,92,42,983	1,33,17,52,433
कुल (ख)	20,23,24,16,527	18,86,73,14,177
कुल (क+ख)	22,85,91,86,907	21,64,83,46,003

अनुभाग अधिकारी (लेखा)

संयुक्त कुलसचिव (वित्त)

वित्त अधिकारी

अनुसूची 3.6 (ख) प्रायोजित परियोजनाओं के निमित्त प्राप्तियां

राशि रु. में

1. क्र.सं	2. परियोजना का नाम	3. दिनांक: 01.04.2024 को आदिशेष	4. वर्ष के दौरान प्राप्तियां	5. कुल	6. वर्ष के दौरान खर्च	7. दिनांक: 31.03.2025 को अंतशेष
1	डीएसटी पर्स चरण-2	5,958	,108	6,066		6,066
2	डीएसटी परंपरागत ज्ञान पद्धति	2,84,693	9,701	2,94,394	-	2,94,394
3	शैक्षिक नेटवर्क ग्लोबल पहल	36,19,022	9,57,416	45,76,438	21,000	45,55,438
4	प्रायोजित सेमिनार/कार्यशाला	20,12,339	2,16,64,630	2,36,76,969	2,04,26,357	32,50,612
5	राष्ट्रीय पशु कल्याण संस्थान	29,07,404	1,78,739	30,86,143		30,86,143
6	पर्यावरण सूचना तंत्र	3,07,667	19,236	3,26,903	-	3,26,903
7	आईसीएसएसआर इम्प्रेस	7,40,878	1,48,44,403	1,55,85,281	96,42,905	59,42,376
8	ऊपरी खर्च/सेमिनार	2,86,58,449	2,45,55,817	5,32,14,266	30,34,793	5,01,79,473
9	डीबीटी-0150 (आईसीआईसीआई)	-	12,07,05,399	12,07,05,399	12,07,05,399	-
10	योजना-1817	-	59,15,973	59,15,973	59,15,973	-
11	योजना-1819	-	68,59,362	68,59,362	68,59,362	-
12	योजना-2354	-	66,87,000	66,87,000	66,87,000	-
13	योजना-2401	-	21,72,601	21,72,601	21,72,601	-
14	योजना-3237	-	24,55,820	24,55,820	24,55,820	-
15	योजना-3614	-	48,67,028	48,67,028	48,67,028	-
16	योजना-3668	-	1,02,42,798	1,02,42,798	1,02,42,798	-
17	योजना-3987	-	3,03,958	3,03,958	3,03,958	-
18	योजना-1826	-	11,21,250	11,21,250	11,21,250	-
19	योजना-2792	-	2,21,831	2,21,831	2,21,831	-
20	योजना-3356	-	89,64,000	89,64,000	89,64,000	-
21	योजना-3988	-	3,45,19,995	3,45,19,995	3,45,19,995	-
22	जेएनयू सीएसआर	-	84,03,675	84,03,675		84,03,675
23	प्रायोजित परियोजनाएं (यूजीसी/सरकारी/अन्य)	6,60,97,635	22,07,77,258	28,68,74,893	24,80,52,066	3,88,22,827
24	इन वर्षों में संचित ब्याज	61,08,94,265	8,09,79,068	69,18,73,333	3,27,39,723	65,91,33,610
	कुल	71,55,28,311	57,74,27,066	129,29,55,378	51,89,53,859	77,40,01,518

अनुभाग अधिकारी (लेखा)

संयुक्त कुलसचिव (वित्त)

वित्त अधिकारी

अनुसूची 3.6 (ग) -प्रायोजित अध्येतावृत्तियों के निमित्त प्राप्तियां

राशि रु में

	लेखा-शीर्ष (एजेंसीवार परियोजनाओं/अध्येतावृत्तियों एवं छात्रवृत्तियों के नाम)	01-04-2024 को आदि शेष	वर्ष 2024-25 के दौरान लेन-देन		31.03.2025 को अंत शेष
			डेबिट	क्रेडिट	
क.	यूजीसी प्रायोजित अध्येतावृत्ति	1,13,12,990		3,98,411	1,17,11,401
ख.	भारत सरकार प्रायोजित अध्येतावृत्ति	10,07,784	4,89,89,285	4,80,57,089	75,588
ग.	अन्य निकाय प्रायोजित अध्येतावृत्ति	23,41,561	5,65,44,896	6,99,78,987	1,57,75,651
घ.	वर्ष के दौरान संचित ब्याज	34,48,08,534		93,86,201	35,41,94,735
ड.	देय आयकर	6,37,871	17,60,459	17,29,093	6,06,505
	कुल	36,01,08,740	10,72,94,640	12,95,49,781	38,23,63,880

अनुभाग अधिकारी (लेखा)

संयुक्त कुलसचिव (वित्त)

वित्त अधिकारी

अनुसूची 3.6 (घ) - यूजीसी/भारत सरकार से अप्रयुक्त अनुदान राशि

	चालू वर्ष 2024-25	पिछला वर्ष 2023-24
क. भारत सरकार		
शेष राशि अग्रणीत	1,22,51,037	1,71,77,038
जमा: वर्ष के दौरान प्राप्तियां	22,94,735	22,61,900
कुल (क)	1,45,45,772	1,94,38,938
घटा: लौटाई गई धनराशि	31,089	1,52,558
घटा: राजस्व व्यय के लिए प्रयुक्त	24,69,585	40,10,148
घटा: पूंजीगत व्यय के लिए प्रयुक्त	11,36,043	30,25,195
कुल (ख)	36,36,717	71,87,901
अग्रणीत अप्रयुक्त कुल (क-ख)	1,09,09,055	1,22,51,037
ख. यूजीसी अनुदान राशि: योजनागत		
शेष राशि अग्रणीत	42,03,28,880	12,10,58,424
वर्ष के दौरान प्राप्तियां	25,95,28,675	98,73,83,318
कुल (ग)	67,98,57,555	1,10,84,41,742
जमा: अनुदान राशि (पूर्व अवधि)	1,28,16,236	
घटा: लौटाई गई धनराशि	25,27,767	32,65,48,235
घटा: राजस्व व्यय के लिए प्रयुक्त	19,80,19,216	3,51,32,161
घटा: पूंजीगत व्यय के लिए प्रयुक्त	28,83,81,725	32,64,32,466
कुल (घ)	47,61,12,472	68,81,12,862
अप्रयुक्त को आगे बढ़ाया गया कुल (ग-घ)	20,37,45,083	42,03,28,880
ग. यूजीसी अनुदान राशि प्राप्तियां योजनेतर		
शेष राशि अग्रणीत	-	-
जमा: वर्ष के दौरान प्राप्तियां	5,77,96,00,000	5,90,88,54,000
कुल (ड.)	5,77,96,00,000	5,90,88,54,000
घटा: लौटाई गई धनराशि	2,81,57,298	28,33,03,161
घटा: यूजीसी से प्राप्त प्रतिपूर्ति राशि	-	39,000
घटा: राजस्व व्यय के लिए प्रयुक्त	5,74,23,85,970	5,61,51,33,689
घटा: पूंजीगत व्यय के लिए प्रयुक्त	90,56,732	1,03,78,150
कुल (च)	5,77,96,00,000	5,90,88,54,000
अप्रयुक्त अग्रणीत कुल (ड.-च)	-	-
कुल योग (क+ख+ग) ➡	21,46,54,138	43,25,79,917

* अप्रयुक्त अनुदान राशि से तात्पर्य परिसंपत्ति साइड में बैंक शेष बैंक में जमा लघु अवधि जमा राशि तथा पूंजीगत लेखा अग्रिम राशि से है।

अनुभाग अधिकारी (लेखा)

संयुक्त कुलसचिव (वित्त)

वित्त अधिकारी

अनुसूची: 4 स्थायी परिसंपत्ति

राशि रु में.

क्र.सं.	परिसंपत्ति शीर्ष	ग्रॉस ब्लॉक				वर्ष 2024-25 के लिए अवमूल्यन				नेट ब्लॉक	
		01.04.24 को आदि शेष	परिवर्धन	कटौतियां	अंत शेष	अवमूल्यन आदि शेष	वर्ष के लिए अवमूल्यन	कटौतियां / समायोजन	कुल अवमूल्यन	31.03.2025	31.03.2024
1	भूमि	21,08,53,672	-	-	21,08,53,672	-	-	-	-	21,08,53,672	21,08,53,672
2	साइट विकास	16,57,30,936	34,31,634	-	16,91,62,570	-	-	-	-	16,91,62,570	16,57,30,936
3	भवन	2,50,83,12,349	16,52,22,782	1,34,91,733	2,66,00,43,398	58,57,03,388	5,32,00,868	-4,44,000	63,93,48,256	2,02,06,95,142	1,92,26,08,961
4	सड़क एवं पुल	13,89,82,251	-	-	13,89,82,251	1,77,81,137	27,79,645	-	2,05,60,782	11,84,21,469	12,12,01,114
5	नलकूप एवं जलापूर्ति	8,16,26,201	21,36,884	-	8,37,63,085	1,83,03,384	16,75,262	-	1,99,78,646	6,37,84,439	6,33,22,817
6	मल व्यवस्था एवं जल निकास	2,28,13,938	1,08,000	53,87,000	1,75,34,938	27,64,416	3,50,699	-	31,15,115	1,44,19,824	2,00,49,522
7	बिजली के उपकरणों का संस्थापन एवं उपस्कर	22,50,21,108	1,54,21,709	45,04,390	23,59,38,427	17,03,67,954	1,17,96,921	44,90,732	17,76,74,143	5,82,64,284	5,46,53,154
8	संयंत्र एवं मशीनरी	5,34,98,146	22,000	-	5,35,20,146	3,08,69,767	26,76,007	-	3,35,45,774	1,99,74,372	2,26,28,379
9	वैज्ञानिक एवं लेब उपकरण	1,13,91,36,812	65,02,195	6,62,08,035	1,07,94,30,972	1,11,92,01,346	2,04,55,640	6,62,08,031	1,07,34,48,956	59,82,016	1,99,35,465
10	कार्यालयी उपकरण	6,78,82,164	16,64,282	3,34,546	6,92,11,900	6,69,39,933	10,67,052	3,34,543	6,76,72,441	15,39,459	9,42,231
11	दृश्य-श्रव्य उपकरण	11,96,85,907	15,58,841	4,98,358	12,07,46,390	11,10,99,304	90,55,979	4,98,354	11,96,56,929	10,89,461	85,86,603
12	कंप्यूटर एवं उनके उपकरण	64,38,58,725	3,28,43,599	4,69,08,304	62,97,94,021	58,83,41,334	2,90,79,051	4,69,08,295	57,05,12,091	5,92,81,930	5,55,17,391
13	फर्नीचर, जुड़नार एवं फिटिंग	27,11,27,701	58,24,480	1,61,235	27,67,90,946	26,60,89,404	54,75,131	1,61,233	27,14,03,303	53,87,643	50,38,296
14	वाहन	1,09,02,370	-	-	1,09,02,370	77,10,409	7,14,503	-	84,24,912	24,77,458	31,91,961
15	पुस्तकालय की पुस्तकें एवं वैज्ञानिक शोध-पत्रिकाएं	72,15,95,932	1,47,38,656	37,734	73,62,96,854	68,25,55,402	1,29,54,557	-	69,55,09,959	4,07,86,895	3,90,40,530
16	कम मूल्य की परिसंपत्ति	1,01,58,046	31,983	-	1,01,90,029	1,01,58,046	31,983	-	1,01,90,029	-	-
17	अन्य	4,75,40,218	-	-	4,75,40,218	4,75,40,217	-	-	4,75,40,217	1	1
कुल (क)		6,43,87,26,474	24,95,07,045	13,75,31,334	6,55,07,02,186	3,72,54,25,438	15,13,13,298	11,81,57,187	3,75,85,81,550	2,79,21,20,636	2,71,33,01,036
18	चालू पूंजीगत कार्य (ख)	89,06,27,949	26,25,06,124	19,26,81,354	96,04,52,719	-	-	-	-	96,04,52,719	89,06,27,949
क्र.सं.	अमूर्त परिसंपत्ति	01/04/2024 को आदि शेष	परिवर्धन	कटौतियां	अंत शेष	ऋणमुक्ति आदि शेष	वर्ष के दौरान ऋणमुक्ति	कटौतियां/ समायोजन	कुल ऋणमुक्ति/ समायोजन	31.03.2025	31.03.2024
19	सॉफ्टवेयर	9,16,00,838	1,09,705	-	9,17,10,543	8,71,92,970	39,02,169	-	9,10,95,139	6,15,404	44,07,868
20	ई-शोधपत्रिकाएं	4,44,27,606	1,48,532	-	4,45,76,138	4,21,24,630	14,86,094	-	4,36,10,724	9,65,414	23,02,976
21	पेटेंट्स	1,16,90,116	-	-	1,16,90,116	32,13,182	1,28,196	-	33,41,378	83,48,738	84,76,934
कुल (ग)		14,77,18,560	2,58,237	-	14,79,76,797	13,25,30,782	55,16,460	-	13,80,47,241	99,29,556	1,51,87,778
कुल योग (क+ख+ग)		7,47,70,72,983	51,22,71,406	33,02,12,688	7,65,91,31,701	3,85,79,56,220	15,68,29,758	11,81,57,187	3,89,66,28,791	3,76,25,02,911	3,61,91,16,763

नोट पूंजीगत चालू कार्य शीर्ष के सामने ग्रॉस ब्लॉक के अंतर्गत "कटौतियां" कॉलम में आंकड़ें वर्ष के दौरान परिसंपत्ति से चालू कार्य में अंतरण को दर्शाते हैं।
परिसंपत्ति 1 से 14 के सामने ग्रॉस ब्लॉक के अंतर्गत "परिवर्धन" कॉलम में आंकड़ों में वर्ष के दौरान चालू कार्य से अंतरण शामिल है। साथ ही, इसमें वर्ष के दौरान पेटेंट परिशोधन अन्य खर्च का भाग है न कि वर्ष के दौरान मूल्यहास का।

अनुभाग अधिकारी (लेखा)

संयुक्त कुलसचिव (वित्त)

वित्त अधिकारी

अनुसूची 4 क- अमूर्त परिसंपत्ति

राशि रु में

क्र.सं.	परिसंपत्ति शीर्ष	ग्रॉस ब्लॉक				वर्ष 2024-25 के लिए परिशोधन				31.03.2025	31.03.2024
		01.04.24 को आदि शेष	परिवर्धन	कटौतियां	अंतशेष	परिशोधन आदि शेष	वर्ष के लिए परिशोधन	कटौतियां / समायोजन	कुल परिशोधन		
1	पेटेंट्स	1,16,90,116	-	-	1,16,90,116	32,13,182	1,28,196	-	33,41,378	83,48,738	84,76,934
2	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	9,16,00,838	1,09,705	-	9,17,10,543	8,71,92,970	39,02,169	-	9,10,95,139	6,15,404	44,07,868
3	ई-शोधपत्रिकाएं	4,44,27,606	1,48,532	-	4,45,76,138	4,21,24,630	14,86,094	-	4,36,10,724	9,65,414	23,02,976
Total		14,77,18,560	2,58,237	-	14,79,76,797	13,25,30,782	55,16,460	-	13,80,47,241	99,29,556	1,51,87,778

अनुभाग अधिकारी (लेखा)

संयुक्त कुलसचिव (वित्त)

वित्त अधिकारी

अनुसूची 4ख- पेटेंट एवं कॉपीराइट

राशि रु. में

विवरण	आदि शेष	परिवर्धन	कुल	परिशोधन	नेट ब्लॉक 2024-25	नेट ब्लॉक 2023-24
क. प्रदान किए गए पेटेंट						
1 वर्ष 2016-17 में प्राप्त पेटेंटों का दिनांक: 31-03-2020 को शेष (मूल मूल्य - Rs.8,00,803/-)	88,979	-	88,979	88,979	-	88,979
2 वर्ष 2018-19 में प्राप्त पेटेंटों का दिनांक: 31-03-2020 को शेष (मूल मूल्य - Rs. 2,62,560/-)	87,522	-	87,522	29,173	58,349	87,522
3 वर्ष 2019-20 में प्राप्त पेटेंटों का दिनांक: 31-03-2020 को शेष (मूल मूल्य - Rs. 90,400/-)	40,180	-	40,180	10,044	30,136	40,180
कुल (क)	2,16,681	-	2,16,681	1,28,196	88,485	2,16,681

विवरण	आदि शेष	परिवर्धन	समग्र	पेटेंट (स्वीकृत/ अस्वीकृत)	नेट ब्लॉक 2024-25	नेट ब्लॉक 2023-24
ख. लंबित पेटेंट						
लंबित पेटेंट आवेदनों पर हुआ खर्च						
2024-25 शून्य						
2023-24 शून्य						
2022-23 शून्य						
2021-22 50,730						
2020-21 शून्य						
2019-20 1,41,250	82,60,253	-	82,60,253	-	82,60,253	82,60,253
2018-19 17,43,633						
2017-18 18,93,370						
2016-17 11,89,982						
2015-16 7,05,567						
2014-15 25,35,721						
और पहले						
कुल (ख)	82,60,253	-	82,60,253	-	82,60,253	82,60,253

ग. कुल योग (क+ख)	84,76,934	-	84,76,934	1,28,196	83,48,738	84,76,934
-------------------------	------------------	----------	------------------	-----------------	------------------	------------------

महेश
अनुभाग अधिकारी (लेखा)

श्री. अ.
संयुक्त कुलसचिव (वित्त)

सुमन कुमार
वित्त अधिकारी

अनुसूची 4 ग- स्थायी परिसंपत्ति (अन्य)

राशि रु में

क्र.सं.	परिसंपत्ति शीर्ष	ग्रॉस ब्लॉक				वर्ष 2024-25 के लिए अवमूल्यन				नेट ब्लॉक	
		01.04.2024 को आदि शेष	परिवर्धन	कटौतियाँ	अंत शेष	अवमूल्यन आदि शेष	वर्ष का अवमूल्यन	कटौतियाँ / समायोजन	कुल अवमूल्यन	31.03.2025	31.03.2024
1	भूमि	2,44,53,672	-	-	2,44,53,672	-	-	-	-	2,44,53,672	2,44,53,672
2	साइट विकास	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	भवन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	सड़क एवं पुल	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	नलकूप एवं जलापूर्ति	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	मल व्यवस्था एवं जल निकास	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	बिजली के उपकरणों का इंस्टॉलेशन	7,89,633	-	-	7,89,633	1,53,924	39,482	-	1,93,405	5,96,228	6,35,709
8	संयंत्र एवं मशीनरी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	वैज्ञानिक एवं प्रयोगशाला उपकरण	1,68,76,305	12,45,159	-	1,81,21,464	92,49,162	14,49,717	-	1,06,98,879	74,22,585	76,27,143
10	कार्यालयी उपकरण	5,680	-	-	5,680	852	426	-	1,278	4,402	4,828
11	दृश्य-श्रव्य उपकरण	1,86,071	-	-	1,86,071	59,133	13,955	-	73,089	1,12,982	1,26,938
12	कंप्यूटर एवं उनके उपकरण	1,49,39,236	2,09,000	-	1,51,48,236	1,39,59,044	10,21,990	-	1,49,81,035	1,67,201	9,80,191
13	सॉफ्टवेयर	63,99,694	-	-	63,99,694	27,59,571	25,59,878	-	53,19,448	10,80,246	36,40,123
14	फर्नीचर, जुड़नार एवं फिटिंग	15,71,619	-	-	15,71,619	7,89,592	1,17,871	-	9,07,463	6,64,156	7,82,027
15	वाहन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	पुस्तकालय की पुस्तकें एवं वैज्ञानिक शोध-पत्रिका	3,30,58,528	6,82,660	-	3,37,41,188	2,93,55,240	33,74,119	-	3,27,29,359	10,11,829	37,03,288
17	ई-शोधपत्रिका	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	कम मूल्य की परिसंपत्ति	16,291	-	-	16,291	16,290	-	-	16,290	1	1
19	अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल		9,82,96,729	21,36,819	-	10,04,33,548	5,63,42,807	85,77,438	-	6,49,20,245	3,55,13,302	4,19,53,922
कुल योग (1-19)		9,82,96,729	21,36,819	-	10,04,33,548	5,63,42,807	85,77,438	-	6,49,20,245	3,55,13,302	4,19,53,922

नोट वर्ष के दौरान परिवर्धन में निम्नलिखित शामिल हैं

दिष्ट उपहार	2,61,587
प्रायोजित परियोजना/अध्येतावृत्ति	18,75,232
कुल	21,36,819

अनुभाग अधिकारी (लेखा)

संयुक्त कुलसचिव (वित्त)

वित्त अधिकारी

अनुसूची 5 -समग्र निधि एवं उद्दिष्ट / अक्षय निधि से किए गए निवेश

राशि रु में

निवेश	चालू वर्ष 2024-25	पिछला वर्ष 2023-24
1 सरकारी प्रतिभूतियों में	6,01,61,296	6,01,61,296
2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	-	-
3 डिबेंचर एवं बॉण्ड्स (दीर्घ अवधि निवेश)	-	-
4 अन्य बैंक एफडीआर (अल्पावधि निवेश)	2,17,94,72,430	1,70,85,76,869
कुल	2,23,96,33,726	1,76,87,38,165

उद्दिष्ट/अक्षय निधि (निधि-वार)

निधि	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1 समग्र निधि निवेश	88,90,70,414	55,76,17,498
2 शैक्षिक विकास निधि निवेश	15,33,64,494	13,92,00,000
3 गृह निर्माण अग्रिम निधि निवेश	30,37,17,938	30,13,33,899
4 निष्पन्न फाउंडेशन निधि निवेश	11,97,79,477	10,95,61,939
5 अक्षय निधि निवेश	71,57,20,191	60,30,43,617
6 वाहन निधि निवेश	5,79,81,212	5,79,81,212
कुल	2,23,96,33,726	1,76,87,38,165

अनुभाग अधिकारी (लेखा)

संयुक्त कुलसचिव (वित्त)

वित्त अधिकारी

अनुसूची-6 निवेश - अन्य

राशि रु में

विवरण	चालू वर्ष 2024-25	पिछला वर्ष 2023-24
1 केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में	-	-
2 राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में	-	-
3 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	-	-
4 शेयर	-	-
5 डिबेंचर एवं बॉण्ड्स (दीर्घ अवधि निवेश)	-	-
6 अन्य	-	-
कुल	-	-

अनुभाग अधिकारी (लेखा)

संयुक्त कुलसचिव (वित्त)

वित्त अधिकारी

अनुसूची-7 वर्तमान परिसंपत्ति

राशि रु में

विवरण	चालू वर्ष 2024-25	पिछला वर्ष 2023-24
1 स्टॉक:		
क) प्रयोगशाला रसायन सामग्री एवं उपभोग्य वस्तुएं	9,36,434	15,41,108
ख) निर्माण सामग्री	21,73,196	11,45,440
ग) साफ-सफाई सामग्री	10,98,928	3,87,757
घ) विद्युत सामग्री	5,04,074	5,12,830
ङ) वर्दी एवं यूनिफॉर्म	2,00,848	1,11,898
च) दवा भंडार	9,10,229	17,55,135
छ) लेखन सामग्री	33,74,168	13,00,150
ज) खेलकूद सामग्री	1,21,734	1,60,000
2 विविध देनदार		
क) छह महीने से अधिक अवधि के बकाया ऋण	26,037	26,037
ख) अन्य	-	-
3 रोकड़ शेष		
क) रोकड़ उद्दिष्ट निधि, प्रायोजित अध्येतावृत्ति	-	-
ख) रोकड़ रखरखाव, रोकड़ छात्रवृत्ति लेखा	-	-
ग) अग्रदाय रखरखाव लेखा	2,68,975	2,86,975
घ) अग्रदाय योजनागत लेखा	3,000	3,000
ड.) हस्तगत डाक	38,938	1,99,641
4 अधिसूचित बैंकों में बैंक शेष (संलग्नक - क)		
क) बचत खाते में	1,43,20,79,066	
ख) चालू खाता पेंशन में	8,55,50,937	
ग) टर्म डिपॉजिट में (एफडी व ऑटो स्वीप सहित)	1,13,88,91,587	
कुल	2,66,61,78,151	2,74,60,18,243

अनुभाग अधिकारी (लेखा)

संयुक्त कुलसचिव (वित्त)

वित्त अधिकारी

31.03.2025 को अंतर्शेष

1. बैंक खाते

जमा राशि निधि बैंक खाता		3,40,76,052
1 बैंक (जमा) खाता	1,60,87,736	
2 बैंक (छात्र सहायता निधि) खाता	16,97,439	
3 बैंक (छात्र) खाता	1,62,90,877	
विकास योजना निधि बैंक खाता	-	19,57,87,302
4 बैंक पूंजीगत परिसंपत्ति 035 खाता	4,58,39,987	
5 बैंक संयुक्त प्रवेश परीक्षा सीबीटी खाता	3,85,23,836	
6 बैंक विकास योजना खाता	11,13,66,923	
7 बैंक अवसरचना विकास निधि खाता	53,228	
8 बैंक जेएनयू आरबीआई पूंजीगत खाता	-	
9 बैंक जेएनयू आरबीआई योजना खाता	-	
10 बैंक (एमएमटीटीसी) खाता	3,327	
11 बैंक (एनडीडीएफआई) खाता	-	
उद्दिष्ट निधि बैंक खाता		20,78,18,287
12 बैंक (शैक्षिक विकास निधि) खाता	3,63,61,237	
13 बैंक (सीएचजी निधि) खाता	-	
14 बैंक (वाहन निधि) खाता	19,25,597	
15 बैंक (कार्यिक निधि) खाता	1,43,69,472	
16 बैंक (अक्षय एवं पीठ) खाता	14,02,38,297	
17 बैंक (एग्जिम बैंक पुस्तकालय निधि) खाता	41,24,055	
18 बैंक (गृह-निर्माण अग्रिम निधि) खाता	28,09,784	
19 बैंक (जेएनयू अलुमनी अक्षय) निधि	21,412	
20 बैंक (निपन फाउंडेशन निधि) खाता	78,84,789	
21 बैंक (यूजीसी जेआरएफ अध्येतावृत्ति) खाता	51,635	
22 बैंक (यूजीसी राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति) खाता	32,011	
ईएमएफ बैंक खाता		58,96,99,695
23 बैंक (डीबीटी-0150) आईसीआईसीआई खाता	-	
24 बैंक डीबीटी प्रायोजित परियोजना खाता	27,14,138	
25 बैंक (डीएसटी पर्स फेज-2) बैंक ऑफ महाराष्ट्र	-	
26 बैंक (डीएसटी परंपरागत ज्ञान पद्धति)	2,94,394	
27 बैंक (पर्यावरण सूचना तन्त्र)	3,26,903	
28 बैंक (ज्ञान प्रोग्राम) खाता	45,55,438	
29 बैंक (आईसीएसएसआर अग्रदाय) खाता	59,42,376	
30 बैंक (जेएनयू सीएसआर) खाता	5,00,000	

अनुभाग अधिकारी (लेखा)

संयुक्त कुलसचिव (वित्त)

वित्त अधिकारी

31	बैंक (राष्ट्रीय पशु कल्याण संस्थान)	30,86,143	
32	बैंक (पर्स फेस - II) खाता	6,066	
33	बैंक (योजना 1817)	-	
34	बैंक (योजना 1819)	-	
35	बैंक (योजना 1826)	-	
36	बैंक (योजना 2354)	-	
37	बैंक (योजना 2401)	-	
38	बैंक (योजना 2792)	-	
39	बैंक (योजना 3237)	-	
40	बैंक (योजना 3356)	-	
41	बैंक (योजना 3614)	-	
42	बैंक (योजना 3668)	-	
43	बैंक (योजना 3987)	-	
44	बैंक (योजना 3988)	-	
45	बैंक (संगोष्ठी) खाता	28,03,612	
46	बैंक (प्रायोजित अध्येतावृत्ति)	1,54,16,381	
47	बैंक (प्रायोजित अध्येतावृत्ति) (भारतीय) खाता	10,93,09,197	
48	बैंक (प्रायोजित परियोजना) खाता	44,47,45,046	
	रखरखाव निधि बैंक खाता		49,02,48,667
49	बैंक (गोमती अतिथि गृह) खाता	56,569	
50	बैंक (जेएनयू आरबीआई नॉट-नेट) खाता	-	
51	बैंक (जेएनयू आरबीआई आवर्ती) खाता	-	
52		-	
53	बैंक (जेएनयू-स्कूल ऑफ इंजीनियरी) खाता	2,11,16,865	
54	बैंक (पेंशन निधि) खाता	8,55,50,937	
55	बैंक (भर्ती फीस)-आईडीबीआई खाता	33,98,953	
56	बैंक (आवर्ती 031) खाता	6,84,573	
57	बैंक (सेवानिवृत्ति निधि) खाता	40,476	
58	बैंक (वेतन 036 खाता)	24,49,52,877	
59	बैंक (अध्येतावृत्ति) खाता	7,07,11,012	
60	बैंक (यूजीसी रखरखाव) खाता	1,12,64,339	
61	बैंक (यूजीसी योजनागत अध्येतावृत्ति) (नॉन नेट)	5,24,72,066	
कुल			1,51,76,30,003
2. अधिसूचित बैंकों में मियादी जमा एवं ऑटो स्वीप			1,13,88,91,587
कुल (I व II)			2,65,65,21,590

अनुभाग अधिकारी (लेखा)

संयुक्त कुलसचिव (वित्त)

वित्त अधिकारी

विवरण	चालू वर्ष 2024-25	पिछला वर्ष 2023-24
ऋण एवं अग्रिम		
1 कर्मचारियों को अग्रिम (ब्याज मुक्त)		
- त्योहार	15,000	15,000
- छुट्टी यात्रा रियायत (एलटीसी)	8,75,000	4,18,838
2 अग्रिम एवं नकद स्वरूप अथवा बदले में अथवा प्राप्त होने वाली कीमत के बदले में बसूलयोग्य अन्य राशियां		
- उपकरण आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम	1,26,09,662	1,26,09,662
- पूंजीगत लेखा अग्रिम - C।Sसिविल कार्य	44,91,00,931	6,05,81,563
- अन्य	5,32,73,513	1,75,99,012
3 पूर्व में भुगतान किए गए व्यय		
- बीमा	18,843	46,660
- अन्य खर्च	55,41,413	38,42,818
4 अर्जित एवं अशोध्य आय		
- निम्नलिखित से निवेश		
उद्दिष्ट / अक्षय निधि	84,38,340	52,44,313
जमा खाता	2,91,766	3,19,101
समग्र निधि	4,39,74,966	3,82,25,497
प्रायोजित परियोजना / प्रायोजित अध्येतावृत्ति	3,38,67,803	3,27,39,723
रखरखाव खाता	89,84,611	83,43,856
योजनागत खाते से किए गए मियादी जमा (एफडी)	19,07,718	1,08,24,159
- कर्मचारियों को देय ब्याज सहित अग्रिम	3,19,20,468	3,13,52,193
5 अन्य - वर्तमान परिसंपत्ति - प्राप्य		
- आयकर से प्राप्य	1,28,50,671	3,19,02,151
- एनपीएस टियर-1 से प्राप्य	19,510	19,510
एंडोवमेंट पीठ से प्राप्त	9,49,654	5,34,543
6 दुकानों के किराए, रॉयल्टी आदि से होने वाली प्राप्य आय	4,14,75,314	3,67,86,540
7 अन्य निधियों से प्रतीक्षित प्रामियों का अंतरण	38,72,44,690	52,12,44,690
8 बैंक से प्राप्य शिक्षण शुल्क	-	2,05,36,564
9 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्य	-	-
10 वित्तीय दुर्विनियोजन (गबन) से प्राप्य	88,10,000	88,10,000
11 विश्वविद्यालय द्वारा जमानत राशि	97,48,500	97,48,500
कुल	1,11,19,18,374	85,17,44,893

नोट: 1. चूंकि, स्टाफ को गृह-निर्माण, कंप्यूटर एवं वाहन अग्रिम राशि देने के लिए परिक्रामी निधि का सृजन किया गया है तो उक्त अग्रिम राशियां उद्दिष्ट/अक्षय निधि के रूप में दर्शाई जाएंगी। इन ब्याज-धारक अग्रिमों के निमित्त शेष राशि इस अनुसूची में दर्शाई नहीं जाएगी।

अनुभाग अधिकारी (लेखा)

संयुक्त कुलसचिव (वित्त)

वित्त अधिकारी

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के आय एवं व्यय खाता की अनुसूचियां

अनुसूची-9 शैक्षिक प्रामियां

राशि रु में

विवरण	चालू वर्ष 2024-25	पिछला वर्ष 2023-24
क) शैक्षिक		
1. प्रवेश शुल्क/नामांकन शुल्क/पंजीकरण शुल्क/शिक्षण शुल्क	8,48,00,248	6,17,06,337
ख) परीक्षा		
1. अंक तालिका, प्रमाणपत्र शुल्क	-	-
ग) अन्य शुल्क		
1. पहचान पत्र शुल्क	38,030	24,750
2. अन्य विविध शुल्क	7,86,393	7,09,451
घ) जेएनयू के प्रवेश फॉर्मों की बिक्री		-
ड) अन्य शैक्षिक प्रामियां		
1. पंजीकरण शुल्क (एचआरडीसी)	6,85,300	14,41,930
2. दीक्षांत-समारोह के लिए पंजीकरण	28,200	22,000
कुल	8,63,38,171	6,39,04,468

अनुभाग अधिकारी (लेखा)

संयुक्त कुलसचिव (वित्त)

वित्त अधिकारी

अनुसूची 10 -अनुदान / सहायिकी (अटल (अंतिम) अनुदान एवं प्राप्त सब्सिडियां)

राशि रु.

विवरण	भारत सरकार	यूजीसी		चालू वर्ष (2024-25) कुल	पिछला वर्ष (2023-24) कुल
		योजनागत/ योजनाएं	वेतन/आवर्ती		
अग्रानीत शेष	1,22,51,037	42,03,28,880	-	43,25,79,917	13,82,35,462
जमा: वर्ष के दौरान प्राप्तियां	22,94,735	25,95,28,675	5,77,96,00,000	6,04,14,23,410	6,01,54,26,052
जमा: पूंजीगत निधि से अंतरण	-	-	-	-	,88,30,73,166
कुल	1,45,45,772	67,98,57,555	5,77,96,00,000	6,47,40,03,327	7,03,67,34,680
जमा: अनुदान (पूर्व अवधि)	-	1,28,16,236	-	1,28,16,236	-
घटा: यूजीसी को लौटाई गई राशि/अन्य निधियों में अंतरण	31,089	25,27,767	2,81,57,298	3,07,16,154	61,00,03,954
घटा: यूजीसी से प्रतिपूर्त अनुदान	-	-	-	-	39,000
शेष	1,45,14,683	69,01,46,024	5,75,14,42,702	6,45,61,03,409	6,42,66,91,726
घटा: पूंजीगत खर्च के लिए प्रयुक्त (क)	11,36,043	28,83,81,725	90,56,732	29,85,74,500	33,98,35,811
शेष	1,33,78,640	40,17,64,299	5,74,23,85,970	6,15,75,28,909	6,08,68,55,915
घटा: राजस्व खर्च के लिए प्रयुक्त (ख)	24,69,585	19,80,19,216	5,74,23,85,970	5,94,28,74,771	5,65,42,75,998
अग्रानीत शेष (ग)	1,09,09,055	20,37,45,083	-	21,46,54,138	43,25,79,917

क. -वर्ष के दौरान पूंजीगत निधि में जमा राशि तथा स्थायी परिसंपत्ति में जमा राशि के रूप में दर्शाया गया है।

ख. -आय एवं व्यय खाता में आय के रूप में दर्शाया गया है।

ग. -1) तुलनापत्र में वर्तमान देयताएं के अंतर्गत दर्शाया गया है तथा अगले वर्ष यह आदि शेष बन जाएगा।

-2) असेट साइड में बैंक शेष, निवेश एवं अग्रिम से तात्पर्य है।

घ. उपलब्ध अनुदान राशि/सहायिकी से अधिक खर्च का वहन यूजीसी से अनुदान राशि के प्राप्त होने तक विश्वविद्यालय की अन्य उपलब्ध धनराशि से अस्थायी तौर पर लिए गए आंतरिक प्राप्तियों/निधि से वहन किया गया।

अनुभाग अधिकारी (लेखा)

संयुक्त कुलसचिव (वित्त)

वित्त अधिकारी

अनुसूची 11: निवेश से आय

राशि रु में

विवरण	उद्दिष्ट/अक्षय निधि		पूँजीगत/योजनाएं/आवर्ती	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24
1. ब्याज				
क. सरकारी प्रतिभूतियों पर	48,87,561	48,87,561	-	-
ख. डिबेंचर एवं बॉण्ड्स पर	-	-	-	-
2. सावधि जमा राशि/ ब्याज धारक पेशगियों पर ब्याज	8,96,99,539	9,30,45,261	4,87,29,438	4,92,60,464
3. अधिसूचित बैंकों में बचत खातों पर	24,53,875	37,38,418		-
कुल	9,70,40,975	10,16,71,240	4,87,29,438	4,92,60,464
संबंधित उद्दिष्ट/अक्षय निधि में अंतरित	9,70,40,975	10,16,71,240		
शेष	शून्य	शून्य		

नोट:-

गृह-निर्माण अग्रिम निधि, वाहन अग्रिम निधि तथा कंप्यूटर अग्रिम निधि एवं कर्मचारियों को ब्याज-धारक अग्रिम राशि से सावधि जमा पर अर्जित अशोध्य ब्याज को यहां (मद 2) में शामिल किया जाएगा जहां ऐसी अग्रिम राशियों के लिए परिक्रामी निधि (ईएमएफ) नहीं बनाई गई है।

अनुभाग अधिकारी (लेखा)

संयुक्त कुलसचिव (वित्त)

वित्त अधिकारी

अनुसूची-12 : अर्जित ब्याज

विवरण	राशि रु में	
	चालू वर्ष 2024-25	पिछला वर्ष 2023-24
1. अधिसूचित बैंकों में बचत खातों पर	44,80,360	54,63,032
2. ऋण पर		
क. कर्मचारी / स्टाफ	-	-
ख. अन्य	-	-
3. देनदारों एवं अन्य प्राप्य स्रोतों पर	-	-
कुल	44,80,360	54,63,032

अनुभाग अधिकारी (लेखा)

संयुक्त कुलसचिव (वित्त)

वित्त अधिकारी

अनुसूची 13 - अन्य आय

राशि रु में

विवरण	चालू वर्ष 2024-25	पिछला वर्ष 2023-24
क. भूमि एवं भवनों से आय		
1. स्टाफ क्वार्टरों से लाइसेंस फीस	1,79,33,232	1,25,58,401
2. विद्युत प्रभार	3,43,76,264	3,19,60,863
3. जल प्रभार	46,70,018	38,76,153
4. (मल) सफाई प्रभार	4,54,247	4,56,357
5. अतिथि गृह (गेस्ट हाउस) से किराया	55,12,900	52,59,096
6. दुकानों, डाकघर, बैंक आदि से किराया	1,93,04,315	1,64,11,142
ख. रॉयल्टी से आय	10,70,193	9,82,443
ग. अन्य		
1. आरटीआई शुल्क	3,022	972
2. परिवहन के प्रयोग हेतु प्रभार	-	-
3. परिसंपत्ति की बिक्री/निपटान पर अधिशेष	15,65,005	13,14,336
4. सीजीएस वसूली	1,68,95,081	1,36,84,071
5. विविध प्राप्तियां (निविदा फॉर्म, रद्दी कागज आदि की बिक्री)	12,056	5,94,912
6. विविध आय (अप्रोज्य भंडार सामग्री/खाली डिब्बे, प्रॉस्पेक्टस की बिक्री, जुर्माना एवं शास्तियां एवं अन्य विविध आय)	86,40,658	1,41,67,815
कुल	11,04,36,991	10,12,66,560

अनुभाग अधिकारी (लेखा)

संयुक्त कुलसचिव (वित्त)

वित्त अधिकारी

अनुसूची 14 - पूर्व अवधि आय

विवरण	चालू वर्ष 2024-25	पिछला वर्ष 2023-24
1 पूर्व अवधि आय	53,55,295	1,52,08,022
2 निवेश से आय	-	-
3 अर्जित ब्याज	-	-
4 अन्य आय	-	-
कुल	53,55,295	1,52,08,022

गुमर कुमाल
अनुभाग अधिकारी (लेखा)

श्री.प.
संयुक्त कुलसचिव (वित्त)

गुमर कुमाल
वित्त अधिकारी

अनुसूची 15 -स्थापना खर्च

राशि रु में

विवरण	चालू वर्ष 2024-25	पिछला वर्ष 2023-24
क वेतन, मजदूरी एवं भत्ते	2,92,41,88,588	2,68,49,10,023
ख भविष्य निधि में अंशदान	56,02,940	57,72,486
ग छुट्टी यात्रा रियायत	1,71,69,247	1,75,97,015
घ चिकित्सा प्रतिपूर्ति	8,27,35,063	10,71,98,206
ड. शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति	1,71,80,708	1,60,52,792
च स्टाफ कल्याण खर्च	6,30,000	3,45,387
छ कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति एवं सेवांत हितलाभ (पेंशन, उपदान, छुट्टी नकदीकरण आदि)	2,78,83,22,679	2,17,06,79,119
ज शुल्क और मानदेय	42,66,325	72,30,723
झ छुट्टी वेतन एवं पेंशन अंशदान भुगतान	11,57,559	11,31,422
कुल योग	5,84,12,53,109	5,01,09,17,173

अनुभाग अधिकारी (लेखा)

संयुक्त कुलसचिव (वित्त)

वित्त अधिकारी

अनुसूची 15 क- कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति एवं सेवांत हितलाभ

राशि रु. में

विवरण	पेंशन	उपदान	छुट्टी नकदीकरण	कुल
आदि शेष (01.04.2024)	16,53,44,94,500	1,00,10,67,244	1,33,17,52,433	18,86,73,14,177
जमा: अन्य संगठनों से प्राप्त अंशदानों का पूंजीकृत मूल्य	73,69,114	65,99,584	60,04,111	1,99,72,809
कुल (क)	16,54,18,63,614	1,00,76,66,828	1,33,77,56,544	18,88,72,86,986
घटा: वर्ष 2024-25 के दौरान वास्तविक भुगतान (ख)	1,01,62,59,597	9,09,43,449	7,98,82,874	1,18,70,85,920
31-03-2025 को उपलब्ध शेष (ग) = (क-ख)	15,52,56,04,017	91,67,23,379	1,25,78,73,670	17,70,02,01,066
बीमांकन मूल्यन के अनुसार 31-03-25 को अपेक्षित प्रावधान (घ)	17,76,41,52,281	1,05,90,21,263	1,40,92,42,983	20,23,24,16,527
क. 2024-25 में किए जाने वाले प्रावधान (घ-ग)	2,23,85,48,264	14,22,97,884	15,13,69,313	2,53,22,15,461
ख. नई पेंशन योजना (एनपीएस) में अंशदान				19,03,99,087
ग. सेवानिवृत्त कर्मचारियों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति				6,15,18,623
घ. सेवानिवृत्ति पर गृहनगर की यात्रा				40,69,508
ड. डिपॉजिट लिंकड बीमा भुगतान				1,20,000
कुल (क+ख+ग+घ)				2,78,83,22,679

अनुभाग अधिकारी (लेखा)

संयुक्त कुलसचिव (वित्त)

वित्त अधिकारी

अनुसूची 16 -शैक्षिक खर्च

राशि रु में

विवरण	चालू वर्ष 2024-25	पिछला वर्ष 2023-24
1 प्रयोगशाला संचालन खर्च	74,63,332	78,28,219
2 क्षेत्र कार्य / सम्मेलनों में प्रतिभागिता	22,37,440	11,23,115
3 शिक्षण सहायक सामग्री	5,55,075	9,78,032
4 संगोष्ठी / कार्यशाला	4,63,137	6,84,169
5 अतिथि शिक्षकों को भुगतान	13,14,535	17,53,500
6 शोध गतिविधियां	10,000	16,500
7 परीक्षा खर्च	1,15,64,825	1,57,24,348
8 छात्र कल्याण खर्च	10,45,77,441	11,65,21,744
9 छात्रों को छात्रवृत्ति/वृत्तिका (स्टाइपेंड)	4,87,33,202	3,58,15,960
10 शोध-पत्रिकाएं एवं प्रकाशन	1,43,43,037	1,94,88,319
11 दीक्षांत समारोह खर्च	1,66,097	1,49,624
12 विविध शैक्षिक खर्च	14,66,950	29,77,778
कुल योग	19,28,95,071	20,30,61,308

अनुभाग अधिकारी (लेखा)

संयुक्त कुलसचिव (वित्त)

वित्त अधिकारी

अनुसूची 17 - प्रशासनिक एवं आम खर्च

राशि रु में

विवरण	चालू वर्ष 2024-25	पिछला वर्ष 2023-24
क. अवसंरचना		
I) किराया, उपकर एवं कर	15,97,63,219	15,97,61,809
II) विद्युत खर्च	23,33,66,024	21,13,41,331
III) जल खर्च	11,98,09,793	7,87,59,991
IV) सुरक्षा खर्च	13,98,55,703	13,20,01,982
V) जेनरेटर संचालन खर्च	5,08,765	3,86,710
VI) ई-गवर्नेंस	12,100	55,11,738
VII) एनएए कैपेक्स का किराया	-	-
ख. संचार		
I) डाक खर्च एवं तार	2,00,662	2,09,057
II) टेलीफोन एवं फैक्स	17,38,890	12,85,842
III) इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रभार	9,34,966	50,028
ग. अन्य		
I) प्रिंटिंग एवं लेखन-सामग्री (उपभोग)	63,67,143	76,91,289
II) समाचारपत्र एवं पत्रिकाएं	2,06,746	3,75,095
III) सत्कार खर्च	22,59,877	14,31,032
IV) उम्मीदवारों को यात्रा भत्ता	-	-
V) श्रम प्रभार, दैनिक मजदूरी एवं ठेका श्रम	28,65,75,717	26,65,49,029
VI) स्थानीय वाहन खर्च	3,14,035	3,76,894
VII) (मल) सफाई खर्च	1,25,35,496	1,24,27,171
VIII) वर्दी	-	-
IX) फोटोकॉपी प्रभार	4,31,607	2,84,026
X) शैक्षिक संस्थानों को दिए गए अभिदान	14,19,386	3,49,478
XI) सलाहकार समितियों आदि के सदस्यों को यात्रा भत्ता	13,24,122	36,49,790
XII) विज्ञापन एवं प्रचार	19,766	2,95,145
XIII) कानूनी खर्च	37,35,898	14,06,451
XIV) कुलगुरु विवेक निधि में अंशदान आदि	-	-
XV) वार्षिक दिवस समारोह	-	-
XVI) अन्य विविध प्रशासनिक खर्च	81,13,569	1,36,96,391
कुल	97,94,93,484	89,78,40,279

अनुभाग अधिकारी (लेखा)

संयुक्त कुलसचिव (वित्त)

वित्त अधिकारी

अनुसूची 18 - परिवहन खर्च

राशि रु में

विवरण	चालू वर्ष 2024-25	पिछला वर्ष 2023-24
1 वाहन (संस्था के स्वामित्वाधीन)		
क) संचालन खर्च	5,40,399	5,36,400
ख) मरम्मत एवं रखरखाव	2,12,915	4,23,153
ग) बीमा खर्च	99,195	94,761
2 किराए/पट्टे पर लिए गए वाहन		
क) किराया/पट्टा खर्च	-	-
3 वाहन (टैक्सी) किराया खर्च	91,446	18,952
कुल	9,43,955	10,73,266

अनुभाग अधिकारी (लेखा)

संयुक्त कुलसचिव (वित्त)

वित्त अधिकारी

अनुसूची 19 - मरम्मत एवं रखरखाव

राशि रु में

विवरण	चालू वर्ष 2024-25	पिछला वर्ष 2023-24
क) स्वच्छता सामग्री एवं सेवाएं	31,19,534	38,87,469
ख) बागवानी	50,485	73,177
ग) भवनों का रखरखाव	24,67,478	19,61,377
घ) संपदा का रखरखाव	2,42,32,372	1,46,67,775
ङ) कार्यालयी उपकरणों का रखरखाव	1,03,02,985	1,10,93,880
च) कंप्यूटरों का रखरखाव	1,29,55,884	1,19,92,052
छ) फर्नीचर एवं जुड़नार का रखरखाव	4,68,265	7,67,627
ज) प्रयोगशाला उपकरणों का रखरखाव	30,59,617	38,25,330
झ) जिल्दसाजी प्रभार	-	1,88,346
ञ) ट्यूबवेल्स का रखरखाव एवं जलापूर्ति	1,07,600	-
ट) दृश्य-श्रव्य (ऑडियो विजुअल) उपकरणों का रखरखाव	26,196	33,458
कुल योग	5,67,90,416	4,84,90,491

अनुभाग अधिकारी (लेखा)

संयुक्त कुलसचिव (वित्त)

वित्त अधिकारी

अनुसूची 20 - वित्त लागत

राशि रु में

विवरण	चालू वर्ष 2024-25	पिछला वर्ष 2023-24
क) बैंक प्रभार	18,55,476	21,87,027
ख) अन्य (उल्लेख करें)	-	-
कुल	18,55,476	21,87,027

महं
अनुभाग अधिकारी (लेखा)

श्री. पी.
संयुक्त कुलसचिव (वित्त)

सुमन कुमार
वित्त अधिकारी

अनुसूची 21 - अन्य खर्च

विवरण	राशि रु में	
	चालू वर्ष 2024-25	पिछला वर्ष 2023-24
क) अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों/अग्रिमों के लिए प्रावधान	-	-
ख) लावसूल शेष राशि बढ़ा खाता	-	-
ग) अन्य संस्थाओं/संगठनों को दी गई अनुदान राशियां/सहायिकियां	-	-
घ) अन्य (उल्लेख करें)	-	-
1. परिसंपत्ति की बिक्री / निपटान पर हुआ नुकसान	-	-
2. अन्य विविध प्रशासनिक खर्च	7,07,988	5,67,943
कुल	7,07,988	5,67,943

म.प्र. ५०
अनुभाग अधिकारी (लेखा)

श्री. ५.
संयुक्त कुलसचिव (वित्त)

सुमन कुमार
वित्त अधिकारी

अनुसूची 22 – पूर्व अवधि खर्च

राशि रु में

विवरण	चालू वर्ष 2024-25	पिछला वर्ष 2023-24
1. स्थापना खर्च	-	13,32,570
2. शैक्षिक खर्च	1,34,17,481	16,34,98,730
3. प्रशासनिक खर्च	1,42,66,210	3,59,06,421
4. परिवहन खर्च	42,976	-
5. मरम्मत एवं रखरखाव खर्च	14,00,876	59,58,176
कुल	2,91,27,543	20,66,95,897

महेश्वर

अनुभाग अधिकारी (लेखा)

श्री. ध.

संयुक्त कुलसचिव (वित्त)

सुमन कुमार

वित्त अधिकारी

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लेखाओं की अनुसूचियां



जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय

अनुसूची: 23

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ

1. लेखा तैयार करने का आधार

इन लेखाओं को, जब तक अन्यथा कुछ कहा न जाए, परंपरागत लागत परिपाटी (हिस्टॉरिकल कॉस्ट कनवेंशन) के अंतर्गत और सामान्यतः लेखाकरण की प्रोदभूत पद्धति (एक्रुअल मैथड) के आधार पर तैयार किया जाता है।

2. राजस्व पहचान

- 2.1 छात्रों से प्राप्त फीस (ट्यूशन फीस को छोड़कर), प्रवेश फार्मों की बिक्री, रॉयल्टी और बचत बैंक खाता पर ब्याज को नकद आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है। प्रत्येक सत्र में अलग से एकत्र की गई ट्यूशन फीस को प्रोदभूत आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है।
- 2.2 भूमि, भवन और अन्य सम्पत्ति पर आय तथा निवेशों (अक्षय निधि को छोड़कर) पर ब्याज को प्रोदभूत आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है। अधिकतर व्यक्तिगत अक्षय निधि के लिए निवेश कम होता है तथा इसके अलावा, प्रोदभूत ब्याज के साथ आय को दर्शाने पर उस सही राशि का पता नहीं चलता जो निधि विशेष के अन्तर्गत उन उद्देश्यों पर खर्च करने हेतु वास्तविक रूप में उपलब्ध है।
- 2.3 स्टाफ सदस्यों को गृह निर्माण, वाहन तथा कंप्यूटर खरीदने के लिए ब्याज पर दी जाने वाली अग्रिमों पर ब्याज अग्रिम पर ब्याज को प्रत्येक वर्ष प्रोदभूत आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है। यद्यपि, ब्याज की वास्तविक वसूली मूलधन के पूर्ण भुगतान के बाद शुरू की जाती है।

3. स्थायी परिसम्पत्ति और मूल्यहास

- 3.1 स्थायी परिसम्पत्ति को आवक-भाड़ा, शुल्क और कर तथा अधिग्रहण, संस्थापन तथा चालू होने से संबंधित प्रासंगिक व प्रत्यक्ष खर्च शामिल करके अधिग्रहण की लागत पर निर्धारित की जाती है।

- 3.2 उपहार/दान स्वरूप प्राप्त परिसम्पत्ति का मूल्यन, घोषित मूल्य, जहां कहीं उपलब्ध हो, पर किया जाता है; यदि यह मूल्य उपलब्ध न हो तो परिसम्पत्ति के मूल्य का अनुमान वर्तमान बाजार मूल्य और उसकी वास्तविक दशा के आधार पर लगाया जाता है। इन परिसम्पत्तियों को पूंजीगत निधि में क्रेडिट करते हुए विश्वविद्यालय की स्थायी परिसम्पत्तियों में मिला दिया जाता है। संबंधित परिसम्पत्तियों पर लागू दरों से मूल्यहास प्रभारित किया जाता है।
- 3.3 उपहार स्वरूप प्राप्त पुस्तकों का मूल्यन उन पर अंकित विक्रय-मूल्य के आधार पर किया जाता है। जहां मूल्य अंकित नहीं है, वहाँ आकलन के आधार पर मूल्य का निर्धारण किया जाता है।
- 3.4 स्थायी परिसम्पत्ति का मूल्यन, उनकी लागत में से संचित मूल्यहास घटाकर किया जाता है। स्थायी परिसम्पत्ति पर मूल्यहास की स्ट्रेट लाइन पद्धति के आधार पर निम्नलिखित दरों पर उपलब्ध कराया जाता है:

मूर्त परिसंपत्ति

1.	भूमि	0%
2.	स्थल विकास	0%
3.	भवन	2%
4.	सड़क और पुल	2%
5.	नलकूप और जलापूर्ति	2%
6.	सीवर और जल निकासी	2%
7.	विद्युत संस्थापन तथा उपकरण	5%
8.	संयंत्र और मशीनरी	5%
9.	वैज्ञानिक और प्रयोगशाला उपकरण	8%
10.	कार्यालय उपकरण	7.5%
11.	दृश्य-श्रव्य उपकरण	7.5%
12.	कंप्यूटर और पेरिफरल्स	20%
13.	फर्नीचर, जुड़नार और फिटिंग्स	7.5%
14.	वाहन	10%
15.	पुस्तकालय की पुस्तकें और वैज्ञानिक शोध-पत्रिकाएं	10%

अमूर्त परिसंपत्ति (परिशोधन)

1.	ई-शोध पत्रिकाएं	40%
2.	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	40%
3.	पेटेंट और कॉपीराइट	9 वर्ष

- 3.5 वर्ष के दौरान हुए परिवर्धनों (additions) पर पूरे वर्ष के लिए मूल्यहास उपलब्ध कराया जाता है।
- 3.6 जहां किसी परिसम्पत्ति का पूर्ण मूल्यहास हो जाता है तो उस परिसम्पत्ति को तुलन-पत्र में 1 रु. के अवशिष्ट मूल्य पर लाया जाता है और इस पर आगे मूल्यहास नहीं होगा। इसके बाद, मूल्यहास की गणना उस परिसम्पत्ति शीर्ष पर लागू मूल्यहास की दर से प्रत्येक वर्ष के परिवर्धनों पर प्रत्येक रूप से की जाती है।
- 3.7 उद्दिष्ट निधि और प्रायोजित परियोजनाओं की निधि में से सृजित की गई परिसम्पत्ति, जहां इन परिसम्पत्तियों का स्वामित्व विश्वविद्यालय के पास है, को पूंजी निधि में क्रेडिट करते हुए विश्वविद्यालय की स्थायी परिसम्पत्ति में विलय कर दिया जाता है। संबंधित परिसम्पत्ति पर लागू दर से मूल्यहास प्रभारित किया जाता है। प्रायोजित परियोजना धनराशि में से सृजित की गई उन परिसम्पत्ति, जिनका स्वामित्व प्रायोजक के पास है, परन्तु परिसम्पत्तियाँ विश्वविद्यालय द्वारा धारित हैं और वह इनका उपयोग करता है, का विवरण लेखा नोट में अलग से किया जाता है।
- 3.8 ऐसी परिसम्पत्ति जिनका प्रत्येक का पृथक मूल्य रु. 2000 या इससे कम (पुस्तकालय की पुस्तकों को छोड़कर) है, इनको 01.04.2010 से लघु मूल्य की परिसम्पत्तियाँ माना जाता है। इस प्रकार की परिसम्पत्तियों के अर्जन के समय इन पर 100 प्रतिशत मूल्यहास उपलब्ध कराया जाता है। तथापि, इस प्रकार की परिसम्पत्तियों का प्रत्यक्ष लेखाकरण और नियंत्रण धारक द्वारा जारी रहता है।

4. अमूर्त परिसंपत्ति

- 4.1 **पेटेंट:** पेटेंट प्राप्त करने के लिए समय-समय पर किया गया खर्च (आवेदन शुल्क, विधिक खर्च आदि) अस्थायी रूप से पूंजीकृत किया जाता है और इसे तुलनपत्र में अलग शीर्ष के रूप में दर्शाया जाता है। यदि पेटेंट के लिए आवेदन रद्द हो जाता है तो जिस वर्ष में आवेदन-पत्र रद्द हुआ है उसमें पेटेंट विशेष पर खर्च किए गए संचयी व्यय को आय-व्यय खाते में बट्टे खाते में डाल दिया जाता है। पेटेंट के लिए खर्च को संरक्षणशील आधार पर 9 वर्ष की अवधि में बट्टे खाते कर दिया जाता है।

- 4.2 **इलेक्ट्रॉनिक शोध-पत्रिकाएँ (ई-शोध-पत्रिकाएँ):** को ऑनलाइन एक्सेस से प्राप्त सीमित लाभों के ध्यानार्थ पुस्तकालय की पुस्तकों से अलग किया गया है। यद्यपि, ई-पत्रिकाओं का कोई मूर्त आकार नहीं होता, अतः इनका अस्थायी रूप से पूंजीकरण इस पर हुए खर्च और शैक्षिक एवं शोध स्टाफ द्वारा अर्जित निरन्तर ज्ञान के संदर्भ में प्राप्त लाभों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। पुस्तकालय की पुस्तकों के संबंध में उपलब्ध 10% मूल्यहास की तुलना में ई-पत्रिकाओं के संबंध में 40% मूल्यहास की उच्चतर दर उपलब्ध कराई जाती है।
- 4.3 **कंप्यूटर सॉफ्टवेयर:** सॉफ्टवेयर खरीदने के लिए खर्च को कंप्यूटरों और पेरिफरल्स से अलग किया गया है, क्योंकि ये अमूर्त रूप में होने के अतिरिक्त जल्दी ही अप्रचलित हो जाते हैं। कंप्यूटर और पेरिफरल्स के लिए मूल्यहास की 20% दर की तुलना में सॉफ्टवेयर के लिए मूल्यहास की दर 40% होती है।
- 4.4 **शोध-पत्रिकाओं की सदस्यता:** एक वर्ष या कम अवधि के लिए एकल भुगतान में एक से अधिक शोध-पत्रिका की अभिदान राशि जो मौजूदा वर्ष में भिन्न-भिन्न प्रकार से अतिव्याप्त (ओवरलैप) होती है, उसे मौजूदा वर्ष के खर्च के रूप में दर्ज किया जाता है।

5. स्टॉक

रसायनों, कांच के बर्तनों, प्रकाशन सामग्री और अन्य स्टोर की खरीद पर खर्च राशि को राजस्व खर्च के रूप में लेखाबद्ध किया जाता है। इसके अतिरिक्त, 31 मार्च को स्कूलों और विभागों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर तदनुसारी राजस्व खर्च को कम करते हुए वस्तु-सूची के रूप में अंतिम स्टॉक की कीमत निर्धारित की जाती है।

6. सेवानिवृत्ति हितलाभ

सेवानिवृत्ति हितलाभ अर्थात् पेंशन, उपदान और छुट्टी-नकदीकरण बीमांकक मूल्यन के आधार पर उपलब्ध कराए जाते हैं। जिस कर्मचारी का विश्वविद्यालय में आमेहन हो जाता है उस कर्मचारी के पूर्व नियोक्ता से प्राप्त पेंशन और उपदान के पूंजीकृत मूल्य को संबंधित प्रोविजन खातों में क्रेडिट कर दिया जाता है। प्रतिनियुक्ति पर जेएनयू कर्मचारियों के पेंशन अंशदान को भी पेंशन खाता के लिए प्रोविजन में क्रेडिट कर दिया जाता है।

अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ जैसे - जमा राशि संबद्ध बीमा योजना, नई पेंशन योजना अंशदान, सेवानिवृत्त कर्मचारियों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति और सेवानिवृत्ति के समय गृह नगर के लिए यात्रा का लेखा-जोखा प्रोदभूत आधार (वर्ष की समाप्ति पर वास्तविक भुगतान व बकाया बिल) पर रखा जाता है।

7. निवेश

- 7.1 दीर्घ अवधि के निवेश उनकी लागत अथवा अंकित मूल्य, जो भी कम हो, पर किए जाते हैं। तथापि, तुलनपत्र की तिथि के अनुसार उनके मूल्य में हुई स्थायी कमी को दर्शाया जाता है।
- 7.2 लघु अवधि के निवेश उनकी लागत अथवा बाजार मूल्य (यदि दर बताई गई हो), जो भी कम हों, पर किए जाते हैं।
- 7.3 बचत बैंक खाते ऑटो स्वीप फेसिलिटी वाले खाते हैं। इनमें समयावधि के अनुसार ब्याज लगता रहता है जिसके लिए समय-समय पर धनराशि ऑटो स्वीप हो जाती है। ऐसे बचत बैंक खातों से ब्याज की आय को रिसीट आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है।

8. उद्दिष्ट/अक्षय निधि

निम्नलिखित दीर्घकालिक धनराशि को विशिष्ट प्रयोजनों के लिए उद्दिष्ट किया जाता है। प्रत्येक निधि का अलग बैंक खाता होता है। जिन खातों में अत्यधिक शेष होते हैं उन्हें सरकारी प्रतिभूतियों, डिबेंचर और बॉण्ड तथा बैंक में सावधिक जमा के रूप में निवेश कर दिया जाता है। निवेश/अग्रिमों (गृह निर्माण और वाहन) से प्रोदभूत आधार पर प्राप्त आय और बचत बैंक खातों पर ब्याज की राशि को संबंधित धनराशि में क्रेडिट कर दिया जाता है। खर्च एवं अग्रिमों (गृह निर्माण और वाहन अग्रिम धनराशि के मामले में) को निधि में डेबिट कर दिया जाता है। उद्दिष्ट धनराशि में से सृजित परिसम्पत्ति (जैसे एक्जिम बैंक पुस्तकालय - भवन और पुस्तकें) को पूंजीगत निधि में समान राशि को क्रेडिट करते हुए विश्वविद्यालय की परिसम्पत्ति में मिला दिया जाता है। संबंधित धनराशि में शेष को अग्रणीत कर दिया जाता है और परिसम्पत्ति के कॉलम में बैंक में शेष, निवेश और प्रोदभूत ब्याज (मौजूदा परिसम्पत्ति) के द्वारा दर्शाया जाता है।

- 8.1 समग्र निधि: की शुरुआत वर्ष 1996-97 में हुई थी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) से समान अंशदान, महाविद्यालयों और अन्य शैक्षिक संस्थानों से प्राप्त मान्यता/सम्बद्धता शुल्क, परामर्श शुल्क में विश्वविद्यालय का हिस्सा और शोध परियोजनाओं से अंशदान को समग्र निधि का परिवर्धन माना जाता है। यूजीसी से समान अंशदान राशि केवल वर्ष 2006-07 तक प्राप्त हुई थी।

निधि के निवेश से प्राप्त आय को निधि में जोड़ दिया जाता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और विश्वविद्यालय की कार्य परिषद् द्वारा समय-समय पर जारी मार्गदर्शी नियमों के आधार पर समग्र निधि का उपयोग राजस्व और पूंजीगत खर्च के लिए किया जाता है। समग्र निधि में से सृजित परिसम्पत्ति का पूंजीगत निधि में समान राशि को क्रेडिट करते हुए विश्वविद्यालय की परिसम्पत्ति में विलय कर दिया जाता है। समग्र निधि में से अग्रणीत किए गए शेष को अलग बैंक खाते में शेष, भारतीय रिज़र्व बैंक के बाँड्स में निवेश और बैंक में आवधिक जमा तथा निवेश (वर्तमान परिसम्पत्ति) पर प्रोदभूत ब्याज के द्वारा दर्शाया जाता है।

8.2 शैक्षिक विकास निधि:

इस निधि की शुरुआत 1 फरवरी 2006 को हुई थी। इसका उपयोग समय-समय पर कार्य परिषद् (ईसी) द्वारा निर्धारित कुछ नवाचार (इनोवेटिव) कार्यक्रमों, शोध कार्यों और अन्य विकासात्मक गतिविधियों के निर्वाह के लिए किया जाता है।

8.3 गृह-निर्माण अग्रिम निधि:

यह निधि गृह निर्माण के लिए अधिकारियों और स्टाफ सदस्यों को ब्याज पर दी जाने वाली अग्रिमों के लिए परिक्रामी (रिवाल्विंग) निधि है।

8.4 निप्पन फाउंडेशन निधि:

निप्पन फाउंडेशन द्वारा उपलब्ध करवाई गई दस लाख यूएस डॉलर की निधि दो भाग में थी। 2,50,000 यूएस डॉलर के प्रथम भाग का निवेश भारतीय स्टेट बैंक, बहरीन में किया गया, और अर्जित ब्याज को उस भाग में जोड़कर पुनः निवेश किया गया। 7,50,000 यूएस डॉलर के दूसरे भाग का भी निवेश भारतीय स्टेट बैंक, बहरीन में किया गया परन्तु उस पर अर्जित ब्याज को भारतीय स्टेट बैंक, जेएनयू शाखा में निधि (सामाजिक विज्ञान तथा मानविकी विषयों में अध्ययन करने वाले बकाया छात्रों को अध्येतावृत्तियों) की मदों पर खर्च का वहन करने हेतु तिमाही आधार पर अंतरित किया गया। 23 सितंबर 2013 को दोनों भाग इकट्ठे किए गए तथा एक अंश एसबीआई, जेएनयू शाखा (एफसीआरए खाता) में अंतरित किया गया और दूसरे अंश को बहरीन रखा गया और आधार पर निवेश किया गया। एसबीआई जेएनयू को अंतरित अंश को भारतीय स्टेट बैंक के साथ तीन मियादी जमा में परिवर्तित किया गया है। इस निधि की मद पर हुए खर्च का वहन बैंक द्वारा इस निधि के बचत बैंक खाता में क्रेडिट किए जा रहे मियादी जमा के तिमाही ब्याज से किया जाता है।

8.5 यूजीसी-जेआरएफ निधि:

यह निधि कनिष्ठ/वरिष्ठ शोधार्थियों को अध्येतावृत्ति प्रदान करने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा उपलब्ध करायी जाती है।

8.6 वाहन (सवारी) निधि:

यह निधि कार, दुपहिया वाहन और कंप्यूटर की खरीद के लिए अधिकारियों और स्टाफ सदस्यों को ब्याज पर दिए जाने वाले अग्रिम भुगतान हेतु परिक्रामी (रिवाल्विंग) निधि है।

8.7 एग्जिम बैंक पुस्तकालय निधि:

यह निधि एग्जिम बैंक द्वारा इसके नाम पर पुस्तकालय का निर्माण करने और पुस्तकालय के लिए पुस्तकों और वैज्ञानिक पत्रिकाओं की खरीद के लिए उपलब्ध करायी गई है।

8.8 अनुप्रयुक्त मानव आनुवंशिकी निधि केंद्र:

यह निधि मानव जिनोमिक्स और सम्बद्ध विषयों में महत्वपूर्ण शोध कार्यक्रम चलाने और राष्ट्रीय स्तर पर संबंध व भागीदारी स्थापित करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा उपलब्ध कराई जाती है।

8.9 राजीव गाँधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति निधि:

यह निधि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालय के अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों को अध्येतावृत्ति प्रदान करने के लिए उपलब्ध करायी जाती है।

8.10 अलुमनी अक्षय निधि:

अलुमनी अक्षय निधि की शुरुआत दिनांक: 17.12.2019 को हुए अतिथियों के सम्मेलन में हुई चर्चा के अनुपालन में की गई। महामहिम राष्ट्रपति ने यह इच्छा व्यक्त की थी कि प्रत्येक केंद्रीय वित्त पोषित उच्च अध्ययन संस्थान में आईआईटी, दिल्ली की तर्ज पर अलुमनी अक्षय निधि की स्थापना होनी चाहिए। जो निधि जेएनयू के अलुमनी से प्राप्त होती है उसका उपयोग विश्वविद्यालय की वृद्धि एवं विकास के लिए किया जाता है।

8.11 अक्षय निधि:

अक्षय निधि ऐसी धनराशि है जो दाताओं द्वारा निर्धारित शर्तों के आधार पर पीठ (चेयर) स्थापित करने, पदक, पुरस्कार और छात्रवृत्तियां प्रदान करने के लिए विभिन्न व्यक्तिगत दाताओं, न्यासों और अन्य संगठनों से प्राप्त होती है। प्रत्येक अक्षय निधि का अपना अलग से निवेश किया जाता है। सभी अक्षय धनराशि के लिए एक ही बचत बैंक खाता होता है, क्योंकि इनके अनिवेशित शेष नगण्य होते हैं। पदक, पुरस्कार और छात्रवृत्तियों पर हुए खर्च का वहन निवेश पर अर्जित ब्याज से ही किया जा सकता है। तथापि, पीठ (चेयर्स) पर हुए खर्च का वहन निधि (अर्जित ब्याज और उसे वापस निधि में जोड़ने सहित) से किया जाता है।

प्रत्येक अक्षय निधि के निवेश से प्राप्त आय को निधि में जोड़ दिया जाता है। बचत बैंक खाता पर प्राप्त ब्याज को सभी अक्षय धनराशि में वर्ष के अन्त में प्रत्येक निधि के अन्त शेष के अनुपात के अनुसार बांट दिया जाता है। पीठ (चेयर), पदक और पुरस्कारों पर खर्च राशि को संबंधित अक्षय धनराशि में डेबिट कर दिया जाता है और शेष को अग्रणीत कर दिया जाता है। शेष को आर.बी.आई. बॉण्ड और आवधिक जमा में निवेश और सभी अक्षय के लिए समान बचत बैंक खाता में कुल शेष के द्वारा दर्शाया जाता है।

9. सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अनुदान राशि

- 9.1 सरकारी अनुदानों और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त अनुदानों को नकदीकरण के आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है। फिर भी, जहाँ किसी वित्तीय वर्ष से संबंधित अनुदान को जारी करने के लिए मंजूरी 31 मार्च से पहले प्राप्त होती है और अनुदान वास्तव में अगले वित्तीय वर्ष में प्राप्त होता है तो इस अनुदान को प्रोदभूत आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है तथा इसके समान राशि अनुदानकर्ता से वसूली योग्य के रूप में दर्शायी जाती है।
- 9.2 पूंजीगत खर्चों के लिए उपयोग की गई सरकारी अनुदान राशि (प्रोदभूत आधार पर) और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अनुदान राशि को पूंजीगत निधि में अंतरित कर दिया जाता है।
- 9.3 राजस्व खर्च वहन के लिए सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अनुदान राशि (प्रोदभूत आधार पर), किए गए उपयोग की सीमा तक, को उस वर्ष की आय के रूप में माना जाता है, जिस वर्ष में अनुदान का नकदीकरण हुआ है।
- 9.4 अप्रयुक्त अनुदानों (इन अनुदानों में से दिए गए अग्रिमों सहित) को अग्रणीत कर दिया जाता है और तुलन-पत्र में देयता के रूप में दर्शाया जाता है।

10. उद्दिष्ट/धनराशि का निवेश और इन निवेशों पर ब्याज के रूप में प्राप्त आय:

इन धनराशि में उपलब्ध राशि, जो खर्च के लिए तुरन्त अपेक्षित नहीं है, को अनुमोदित प्रतिभूतियों और बॉण्ड या बैंक में आवधिक जमा के रूप में निवेश किया जाता है, इसमें बचत बैंक खाता के शेष को छोड़ दिया जाता है।

इन निवेशों पर प्राप्त ब्याज, प्रोदभूत एवं देय ब्याज तथा प्रोदभूत एवं अदेय ब्याज को संबंधित धनराशि में जोड़ दिया जाता है और उसे विश्वविद्यालय की आय के रूप में नहीं माना जाता है।

11. प्रायोजित परियोजनाएं

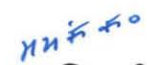
11.1 चालू प्रायोजित परियोजनाओं के संबंध में प्रायोजकों से प्राप्त राशि को "वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान - वर्तमान देयताएं - अन्य देयताएं - चालू प्रायोजित परियोजनाओं के लिए प्राप्तियां" शीर्ष में क्रेडिट कर दिया जाता है। जब कभी इन परियोजनाओं की राशि में से खर्च किया जाता है/अग्रिम का भुगतान किया जाता है या संबंधित परियोजना खाते को निर्धारित ऊपरी शीर्ष प्रभार के साथ डेबिट किया जाता है तो देयता खाता को डेबिट कर दिया जाता है।

11.2 कनिष्ठ शोध अध्येतावृत्तियों (जेआरआफ) के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वित्तपोषित उद्दिष्ट निधि के अतिरिक्त विभिन्न संगठनों द्वारा भी अध्येतावृत्तियां और छात्रवृत्तियां प्रायोजित की जाती हैं। ऐसे खर्च जो सामान्यतः अध्येतावृत्ति और छात्रवृत्ति के संवितरण पर होते हैं, जिनमें शोधार्थी और छात्र द्वारा आकस्मिक खर्च शामिल है, को छोड़कर इनका लेखा भी प्रायोजित परियोजना की तरह ही रखा जाता है।

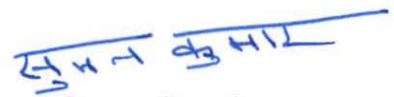
11.3 विश्वविद्यालय स्वयं भी अध्येतावृत्तियां और छात्रवृत्तियां प्रदान करता है, जिन्हें विश्वविद्यालय के शैक्षिक खर्च के रूप में लेखाबद्ध किया जाता है।

12. आयकर

आयकर अधिनियम की धारा 10 (23सी) के अन्तर्गत विश्वविद्यालय की आय को आयकर से छूट प्राप्त है। अतः लेखाओं में कर के लिए कोई प्रावधान नहीं किया जाता है।


अनुभाग अधिकारी (लेखा)


संयुक्त कुलसचिव (वित्त)


वित्त अधिकारी

अनुसूची: 24

आकस्मिक देयताएं और लेखा नोट

1. आकस्मिक देयताएं

- 1.1 31.3.2025 की स्थिति के अनुसार जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व/वर्तमान कर्मचारियों, किराएदारों, ठेकेदारों द्वारा जेएनयू के विरुद्ध दर्ज किए गए 169 मुकदमे (पिछले वर्ष 179) और ठेकेदारों के साथ माध्यस्थम मामले निर्णय के लिए लम्बित थे। कर्मचारियों द्वारा दर्ज किए गए मुकदमे स्थापना-अर्थात् पदोन्नति, वेतनवृद्धि, वेतनमान, निलम्बन आदि से संबंधित थे। इन दावों की प्रमात्रा की राशि का पता लगाना संभव नहीं है। मुकदमों और माध्यस्थम मामलों में ठेकेदारों द्वारा किए गए दावे की राशि दस लाख व ब्याज (पिछले वर्ष राशि शून्य) रही।
- 1.2 जेएनयू की ओर से बैंक द्वारा खोले गए साख-पत्र (लैटर्स ऑफ क्रेडिट) और 31.03.25 को बकाया राशि 62.54 लाख थी (पिछले वर्ष में यह राशि 86.60 करोड़ थी)।
- 1.3 संकाय सदस्यों के लिए कैरियर एडवांस स्कीम हेतु पिछली सेवा की गणना के लिए गठित जेएनयू समिति द्वारा समीक्षा किए गए मामलों से संबंधित मसला शिक्षा मंत्रालय से स्पष्टीकरण के अभाव में लंबित है।

2. पूंजीगत प्रतिबद्धताएं

31.03.2025 की स्थिति के अनुसार पूंजीगत खाते पर निष्पादन हेतु शेष ठेकों की लागत और जिनके लिए कोई प्रावधान नहीं किए गए (अग्रिमों की निवल) की राशि 497.66 करोड़ रु. रही। (पिछले वर्ष में यह राशि 17.59 करोड़ रु. थी)

3. स्थायी परिसम्पत्ति

- 3.1 वर्ष 2024-25 में अनुसूची-4 की स्थायी परिसम्पत्ति में हुए परिवर्धन में योजनागत अनुदान एवं विश्वविद्यालय निधि 29,85,74,500/-रु., प्रायोजित अध्येतावृत्ति/परियोजनाएं (18,75,232/-रु.) और विश्वविद्यालय को उपहार स्वरूप प्राप्त पुस्तकालय पुस्तकें और अन्य परिसंपत्ति से खरीदी गई 2,61,587/- राशि की परिसम्पत्ति शामिल हैं। ये परिसम्पत्ति पूंजीगत निधि में क्रेडिट द्वारा स्थापित की गई हैं।

- 3.2 अनुसूची-4 में दर्शायी गई स्थायी परिसम्पतियों में वे परिसम्पति शामिल नहीं हैं जिनकी खरीद प्रायोजित परियोजना धनराशि में से की गई है और जो विश्वविद्यालय द्वारा धारित हैं तथा इसके द्वारा प्रयोग की जा रही हैं क्योंकि परियोजना संविदाओं में शामिल अनुबंधों के अनुसार परियोजना धनराशि में से खरीदी गई सभी परिसम्पति प्रायोजकों की संपत्ति रहेंगी।

ऐसी परिसम्पति का विवरण इस प्रकार है:

परिसम्पति	01.04.2024 को वास्तविक लागत	वर्ष के दौरान परिवर्धन (रु.)	कुल (रु.)	मूल्यहास आदि शेष	वर्ष के लिए कल्पित मूल्यहास (रु.)	कुल मूल्यहास	31.03.2025 को कुल बुक मूल्य (रु.)
प्रयोगशाला उपकरण	1,13,42,37,708	3,94,73,795	1,17,37,11,503	79,71,89,611	9,38,96,920	89,10,86,531	28,26,24,972
कंप्यूटर	2,89,62,551	12,45,159	3,02,07,710	2,89,62,550	12,45,159	3,02,07,709	1
विद्युत व अन्य उपकरण	1,54,45,300	-	1,54,45,300	30,27,654	7,72,265	37,99,919	1,16,45,381

- 3.3 विश्वविद्यालय ने कुल 1011.45 एकड़ भूमि में से 159.13 एकड़ भूमि आईसीसीएसएसआर, एनआईआई, केवीएस, एनएससी/आईयूएसी, डेलनेट, यूजीसी, एआईसीटीई, आईआईएमसी, आईसीजीईबी, डीवीबी तथा एनआईपीजीआर को पट्टा आधार पर दी हुई है। भवनों तथा भवन बने हुए एरिया और उनके आस-पास के एरिया पर स्वामित्व का अधिकार विश्वविद्यालय के पास है।

1. **पेटेंट-** वर्ष 2011-12 के दौरान पहली बार पेटेंट पर खर्च के संबंध में लेखाकरण नीति तैयार की गई है। वर्ष 2008-2009 और 2010-2011 के दौरान मंजूर हुए पेटेंट पर खर्च की गई राशि और 31.03.2011 के अनुसार लंबित पेटेंट के आवेदनों पर खर्च को वर्ष 2011-2012 के लेखाओं में पूंजीगत निधि में क्रेडिट करते हुए स्थापित किया गया। वर्ष 2013-14 से 2023-24 में खर्च की गई राशि को सीधे शीर्ष में डेबिट कर दिया गया है। पेटेंट्स पर ऋणमुक्ति को शैक्षिक खर्च के अंग के रूप में सृजित किया गया है। वर्ष 2023-24 के दौरान पेटेंट परिशोधन जो 1,28,195/-रु. की राशि का है, अन्य खर्च का हिस्सा है न कि आय एवं व्यय लेखा का मूल्यहास है।

वित्त वर्ष 2022-23 से 2024-25 के दौरान विभिन्न प्रायोजित परियोजनाओं में विश्वविद्यालय को 14 पेटेंट प्राप्त हुए। इससे विश्वविद्यालय का शोध और नवाचार के प्रति समर्पण दिखता है। ये पेटेंट प्रोजेक्ट बजट से सीधे वित्तपोषित हैं।

2. **अनुदान-** विश्वविद्यालय ने वित्त वर्ष 2020-21 में एकल राजकोषीय खाता (टीएसए) प्रणाली को अपनाया है। स्वायत्त निकायों (एबी) के लिए टीएसए प्रणाली का उद्देश्य स्वायत्त निकायों को सरकारी अनुदान 'उचित समय पर' जारी करना तथा स्वायत्त निकाय के पास धन की पार्किंग से बचना है। इससे एकमुश्त नकद अंतरण से भी बचा जा सकेगा तथा जरूरत पड़ने पर सरकारी खाते से आहरण की सुविधा मिल सकेगी। विश्वविद्यालय में वर्तमान में टीएसए प्रणाली के तहत पांच लेखा/रोकड़ बहियां हैं।
3. **जमा देयताएं-** वित्त वर्ष 2021-22 से पहले बयाना राशि(EMD) और जमानत राशि के रूप में 5,39,383/-रु. की बकाया राशि को अदावी जमा के रूप में राजस्व खाते में ट्रांसफर कर दिया गया तथा वर्ष 2023-24 में विविध आय के रूप में दर्शाया गया।
4. **निप्पन फाउंडेशन निधि-** वर्ष 2013-14 में इस निधि के लिए लेखाकरण नीति में परिवर्तन किया गया था। दिनांक: 23-09-2013 तक समग्र निधि का निवेश बहरीन देश में किया गया। 2,50,000 यूएस डॉलर के प्रथम भाग का अलग से निवेश किया गया तथा अर्जित ब्याज को जोड़कर पुनः निवेश किया गया। 7,50,000 यूएस डॉलर के दूसरे भाग का भी निवेश किया गया। परन्तु ब्याज प्रत्येक तिमाही में भारतीय स्टेट बैंक के जेएनयू के खाते में अंतरित किया गया। इसे छात्रों को अध्येतावृत्ति के खर्च के लिए प्रयोग किया गया। दिनांक: 24.09.2013 को 3,00,000 यूएस डॉलर भारतीय स्टेट

बैंक में जेएनयू के खाते (रु. 1,86,94,500/- के समकक्ष) में अंतरित किए गए तथा 8,12,476.29 यूएस डॉलर (यूएस डॉलर 1,12,476.79 का ब्याज सहित) भारतीय स्टेट बैंक, बहरीन देश में मियादी जमा (FD) रखा गया। रु.13,05,500/- की बचत खाता राशि के साथ रु. 1,86,94,500/- की राशि को 70 लाख, 70 लाख और 60 लाख की 3 मियादी जमा (Term Deposit) में परिवर्तित कर दिया गया। ऐसी जमा राशि पर तिमाही ब्याज को अध्येतावृत्तियों के संवितरण हेतु भारतीय स्टेट बैंक द्वारा इस निधि के बचत बैंक खाता में क्रेडिट किया जाता है।

5. **सेवानिवृत्ति हितलाभ** - वर्ष 2012-13 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार योजनागत पदों के लिए भुगतान किए गए सेवानिवृत्ति हितलाभ और स्थापना खर्च को केवल योजनागत अनुदानों में ही डेबिट किया गया है। पेंशन, उपदान व छुट्टी नकदीकरण हितलाभ भारत सरकार/उपदान भुगतान अधिनियम विश्वविद्यालय नियमानुसार शासित किए जाते हैं।
6. **वर्तमान परिसम्पत्ति, ऋण और अग्रिम-** प्रबंधन के मतानुसार वर्तमान परिसम्पत्ति, ऋण और अग्रिमों का सामान्यतः नकदीकरण करने पर जो मूल्य होता है वह कम से कम तुलन-पत्र(बैलेंस शीट) में दर्शाए गए कुल मूल्य के समान होता है।
 - 6.1 किसी विशेष समय धनराशि के अभाव में तथा अपरिहार्य प्रतिबद्धता देयताओं के भुगतान हेतु विश्वविद्यालय अस्थायी व्यवस्था करता है तथा एक खाते से दूसरे खाते में धनराशि का अंतरण करता है। यूजीसी से अनुदान राशि प्राप्त हो जाने के बाद इसकी प्रतिपूर्ति (पुनः प्राप्ति) की जाती है। यूजीसी से अनुदान राशि के प्राप्त न होने के कारण प्रतिपूर्ति न किए जाने वाली धनराशि के अंतरण को तुलन पत्र (बैलेंस शीट) में मौजूदा परिसंपत्ति ऋण अग्रिम तथा मौजूदा देयताएं के अंतर्गत दर्शाया गया है।
7. बचत बैंक खाता, चालू खाता (पेंशन) और बैंक में मियादी जमा खातों में शेष राशि के विवरण अनुसूची-6 में संलग्न 'ए' में दिए गए हैं। ऑनलाइन फीस के संग्रहण के लिए चार बैंक खाते भी खोले गए।
8. पिछले वर्षों के आंकड़ों का यथावश्यक पुनर्वर्गीकरण किया गया है।
9. अंतिम लेखाओं में आंकड़ों को निकटतम रुपए में पूर्णांकित (राउंड ऑफ) किया गया है।

10. अनुसूची 1 से 21 प्राप्तियां और भुगतान खाता इसके साथ संलग्न हैं और यह 31 मार्च 2025 के तुलनपत्र और उस तिथि को समाप्त हुए वर्ष के आय व व्यय लेखा के अभिन्न अंग हैं।
11. यह सुनिश्चित करने के लिए प्रविष्टियां पारित की गई हैं कि पूंजी/योजना खाते में शेष राशि वर्ष के अंत में संबंधित निवेश बचत बैंक खाते में शेष राशि को दर्शाती है।
12. दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए)ने विश्वविद्यालय के पक्ष में भूमि आबंटन पत्र अभी तक जारी नहीं किया है। तथापि, विश्वविद्यालय ने प्राधिकरण को संगत विवरण/दस्तावेज उपलब्ध करा दिए हैं।
13. जेएनयू परिसर में कंपनी अधिनियम की धारा-8 के अंतर्गत विशेष प्रयोजन वाहन अटल इंक्यूबेशन सेंटर (एआईसी) - जेएनयूएफआई केंद्र की स्थापना की गई है।
14. चूँकि भविष्य निधि खाता और नई पेंशन योजना खाता का स्वामित्व इस धनराशि के सदस्यों के पास होता है, न कि विश्वविद्यालय के पास। अतः वर्ष 2004-2005 से इन खातों को विश्वविद्यालय के खातों से अलग किया गया है। तथापि, प्राप्ति और भुगतान खाता, आय और व्यय खाता (प्रोदभूत आधार पर) और भविष्य निधि खाता के तुलनपत्र के साथ-साथ वर्ष 2024-25 के लिए नई पेंशन योजना के तुलन-पत्र (बैलेंस-सीट) विश्वविद्यालय के लेखाओं के साथ संलग्न किया गया है। पीआरए नम्बर आबंटित 1063 कर्मचारियों के संबंध में नई पेंशन योजना निधि का एक बड़ा हिस्सा (130.89 करोड़ रु.) 31 मार्च 2025 तक नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल)-सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी (सीआरए) को अंतरित कर दिया गया है।
15. विश्वविद्यालय ने शिक्षा मंत्रालय के दिनांक: 17 अप्रैल, 2015 के पत्र सं. 29-4/2012-आईएफडी द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर वित्त वर्ष 2014-15 से वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए संशोधित लेखा-प्रपत्र को अंगीकृत कर लिया है।

ममं ५०
अनुभाग अधिकारी (लेखा)

श्री. व.
संयुक्त कुलसचिव (वित्त)

सुमन कुमार
वित्त अधिकारी

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष का प्राप्ति एवं भुगतान लेखा

प्राप्तियां	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	भुगतान	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
I. आदि शेष			I. व्यय:		
क) हस्त रोकड़	4,89,616	3,45,816	क) स्थापना	50,67,31,909	53,98,33,171
ख) बैंक शेष			ख) शैक्षिक	18,75,13,476	18,70,39,654
-चालू खातों में	9,01,66,806	8,37,86,983	ग) प्रशासनिक	94,22,51,391	81,77,75,295
-बचत खातों में	1,55,53,90,142	1,44,94,38,199	घ) परिवहन खर्च	8,30,605	8,69,656
II. प्राप्त अनुदान राशि	6,05,74,38,827	6,16,15,24,294	इ) मरम्मत एवं रखरखाव	5,46,88,471	4,47,47,026
III. शैक्षिक प्राप्तियां	8,57,44,262	4,93,39,137	च) वित्त लागत	18,55,476	21,87,027
IV. उद्दिष्ट / अक्षय निधि के निमित्त प्राप्तियां	37,88,32,868	58,79,98,125	छ) पूर्व अवधि खर्च	2,91,27,543	20,35,06,538
V. प्रायोजित परियोजनाओं / योजनाओं के निमित्त प्राप्तियां	53,22,04,882	43,53,84,738	ज) अन्य खर्च	5,79,792	4,39,747
VI. प्रायोजित अध्येतावृत्तियां / छात्रवृत्तियां क नामित प्राप्तियां	13,45,69,272	9,95,67,875	II. उद्दिष्ट / अक्षय निधि के निमित्त भुगतान	3,54,09,798	14,99,03,803
VII. निवेश से आय	5,38,08,161	1,02,49,881	III. प्रायोजित परियोजनाओं / योजनाओं के निमित्त भुगतान	47,48,59,755	55,03,74,961
VIII. प्राप्त ब्याज	44,80,360	54,63,032	IV. प्रायोजित अध्येतावृत्तियों / छात्रवृत्तियों के निमित्त भुगतान	11,23,14,131	10,58,84,053
IX. निवेश	1,66,87,68,483	3,03,66,01,470	V. निवेश	2,12,65,30,190	3,50,72,68,085
X. अधिसूचित बैंकों में सावधि जमा	10,69,97,78,945	10,25,68,46,577	VI. आधसूचित बैंक में सावाधि जमा	10,76,51,68,950	10,24,98,46,350
XI. अन्य आय	5,93,88,332	8,43,71,377	VII. स्थायी परिसंपत्ति तथा चालू पूंजीगत कार्य पर खर्च	8,02,56,723	10,37,96,167
XII. जमा राशि एवं अग्रिम	45,84,60,210	32,96,26,913	VIII. वैधानिक भुगतान सहित अन्य भुगतान	4,02,12,24,090	3,17,46,23,012
XIII. वैधानिक प्राप्तियों सहित विविध प्राप्तियां	83,13,32,389	78,18,90,501	IX. लौटाई गई अनुदान राशि	3,39,15,335	75,61,02,196
XIV. अन्य प्राप्तियां [वर्तमान परिसंपत्ति (प्राप्य)]	20,45,63,430	28,03,65,293	X. जमा राशि एवं अग्रिम	67,32,44,781	35,82,40,382
कुल	22,81,54,16,983	23,65,28,00,211	XI. अन्य भुगतान		
			क) वेतन संबंधी भुगतान	1,25,09,73,651	1,25,43,16,525
			XII. अंत शेष		
			क) हस्त रोकड़	3,10,913	4,89,616
			ख) बैंक शेष		
			-चालू खातों में	8,55,50,937	9,01,66,806
			-बचत खातों में	1,43,20,79,067	1,55,53,90,142
			कुल	22,81,54,16,983	23,65,28,00,211

अनुभाग अधिकारी (लेखा)

संयुक्त कुलसचिव (वित्त)

वित्त अधिकारी

भविष्य निधि खाता

31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र

राशि रु. में

राशि 31-मार्च-24	देयता	राशि 31-मार्च-25	राशि 31-मार्च-24	परिसंपत्ति	राशि 31-मार्च-25
1,46,97,54,061	<u>सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ)</u> आदि शेष 1,46,97,54,061 घटा: मार्च, 2024 का अभिदान 1,31,16,304 1,45,66,37,757 जमा: वर्ष भर का अभिदान 17,07,00,451 जमा: मार्च, 2025 का अभिदान 1,26,87,610 जमा: जमा किया गया ब्याज 9,55,48,726 घटा: अग्रिम / निकासी 31,46,91,763 1,42,08,82,781	1,42,08,82,781	1,504,921,972	<u>निवेश</u> 31/03/2024 को निवेश 1,50,49,21,972 जमा: वर्ष के दौरान निवेश 35,00,00,000 घटा: वर्ष के दौरान नकदीकृत निवेश 38,87,50,000 1,46,61,71,972 <u>प्रोदभूत अशोध्य ब्याज</u> 31-03-2024 को प्रोदभूत ब्याज 22,11,11,030 जमा: वर्ष के दौरान प्रोदभूत ब्याज 4,65,49,145 घटा: मार्च 2024 को प्रोदभूत ब्याज 3,89,08,785 22,87,51,390	1,46,61,71,972
16,76,73,042	<u>अंशदायी भविष्य निधि (सीपीएफ)</u> आदि शेष 16,76,73,042 घटा: मार्च, 2024 का अभिदान 11,87,085 16,64,85,957 जमा: वर्ष भर का अभिदान 1,38,92,308 जमा: मार्च, 2025 का अभिदान 10,38,282 जमा: जमा किया गया ब्याज 99,01,200 घटा: अग्रिम / निकासी 4,10,49,933 15,02,67,814	15,02,67,814	14,819,759	मार्च, 2025 के लिए देय अभिदान 1,26,87,610 सामान्य भविष्य निधि 10,38,282 अंशदायी भविष्य निधि 4,40,830 1,41,66,722	1,41,66,722
12,47,78,256	<u>विश्वविद्यालय अंशदान</u> आदि शेष 12,47,78,256 घटा: मार्च, 2024 का अभिदान 5,16,370 12,42,61,886 जमा: वर्ष भर का अभिदान 58,66,227 जमा: मार्च, 2025 का अभिदान 4,40,830 जमा: जमा किया गया ब्याज 85,27,244 घटा: अग्रिम / निकासी 1,10,32,332 12,80,63,855	12,80,63,855	10,724,675	आयकर विभाग से लंबित धन-वापसी के ब्याज से वसूला गया कर 1,92,49,313 घटा: प्राप्त हुआ कर 21,26,578 1,71,22,735	1,71,22,735
94,41,281	<u>अरक्षित ब्याज</u> आदि शेष 10,64,24,423 जमा: आय से व्यय की अधिकता 5,63,22,794 16,27,47,217	16,27,47,217	14,770,763	रखरखाव खाते से प्राप्य - हस्त रोकड़ - बैंक शेष 12,93,96,086 एसबीआई, जेएनयू शाखा-1 7,46,621 एसबीआई, जेएनयू शाखा-2 170,66,748 14,72,09,455	14,72,09,455
1,87,80,71,063	कुल	1,87,34,22,474	1,87,80,71,063	कुल	1,87,34,22,274

अनुभाग अधिकारी (लेखा)

संयुक्त कुलसचिव (वित्त)

वित्त अधिकारी

भविष्य निधि खाता

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष का आय एवं व्यय खाता

राशि रु. में

राशि 31-मार्च-24	खर्च	राशि 31-मार्च-25	राशि 31-मार्च-24	आय	राशि 31-मार्च-25
16,04,010	बैंक प्रभार	1,003		निवेश पर अर्जित ब्याज तथा ऑटो स्वीप	16,02,81,884
	निम्नलिखित में जमा किया गया ब्याज:			जमा: मार्च 2025 को प्रोदभूत ब्याज	4,65,49,145
10,00,56,259	जीपीएफ खाता	9,55,48,726		जमा: संचयी ब्याज पर टीडीएस की कटौती	23,78,723
96,22,224	सीपीएफ खाता	99,01,200	16,90,13,325	घटा: मार्च 2024 के लिए प्रोदभूत ब्याज	3,89,08,785
63,03,309	विश्वविद्यालय अंशदान	85,27,244			
5,14,27,523	व्यय से आय की अधिकता	5,63,22,794		घाटा (आय से व्यय की अधिकता)	-
16,90,13,325	कुल	17,03,00,967	16,90,13,325	कुल	17,03,00,967

अनुभाग अधिकारी (लेखा)

संयुक्त कुलसचिव (वित्त)

वित्त अधिकारी

भविष्य निधि खाता

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए प्राप्ति एवं भुगतान खाता

राशि रु. में

पिछला वर्ष	प्राप्तियां	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	भुगतान	चालू वर्ष
	01/04/2024 को आदि शेष		27,79,25,135	जीपीएफ अग्रिम / निकासी	31,46,91,763
	एसबीआई, जेएनयू शाखा-1	7,99,40,665	1,40,23,289	सीपीएफ अग्रिम / निकासी	3,81,49,735
	एसबीआई, जेएनयू शाखा-2	7,26,839	-	विश्वविद्यालय अंशदान	1,10,32,332
1,63,65,603	आईसीआईसीआई बैंक	16,06,846	16,04,010	बैंक प्रभार	1,003
25,18,159	31.03.2024 को ऑटोस्वीप		41,50,01,000	वर्ष के दौरान निवेश	35,00,00,000
		2,94,48,514	2,94,48,514	31.03.2025 को ऑटोस्वीप बैलेंस	
	जीपीएफ अभिदान	16,67,82,570	45,34,497	ऑटोस्वीप पर कटौती किया गया कर/ब्याज	61,45,915
	सीपीएफ अभिदान	1,38,92,308	-	रखरखाव खाता में अंतरण योग्य भविष्य निधि खाता में प्राप्त उपदान, पेंशन का संराशीकृत मूल्य (सीवीपी) आदि	17,52,573
20,49,68,885	विश्वविद्यालय अंशदान	58,66,227	18,65,41,105	31/03/2025 को अंत शेष	
39,72,45,000	नकदीकृत निवेश		38,87,50,000	एसबीआई, जेएनयू शाखा-1	12,93,96,086
	निवेश पर ब्याज	16,00,26,463.00		एसबीआई, जेएनयू शाखा-2	7,46,621
20,04,53,534	ऑटो स्वीप पर ब्याज	2,55,420.52	16,02,81,884	आईसीआईसीआई बैंक	1,70,66,948
	प्राप्त आयकर		1,68,97,341		
32,59,614	रखरखाव खाता में अंतरण योग्य भविष्य निधि खाता में प्राप्त उपदान, पेंशन का संराशीकृत मूल्य (सीवीपी) आदि		47,89,782		
82,48,10,795	कुल	86,89,82,976	82,48,10,795	कुल	86,89,82,976

अनुभाग अधिकारी (लेखा)

संयुक्त कुलसचिव (वित्त)

वित्त अधिकारी

एनपीएस टियर-1 खाता
31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र

राशि रु. में

राशि 31-मार्च-24	देयता	राशि 31-मार्च-25	राशि 31-मार्च-24	परिसंपत्ति	राशि 31-मार्च-25
	एनपीएस टियर-1 खाता			एनपीएस टियर-1 खाता	
	आदि शेष 6,04,368			- मार्च 24 के लिए देय अभिदान -	
	घटा: मार्च, 2024 का अभिदान+वि.वि. अंशदान -			ऑटो स्वीप खाता: आदि शेष 92,23,358	
	6,04,368			घटा: स्वीप डेबिटेड -	
	जमा: वर्ष के दौरान अभिदान+वि.वि. अंशदान -			92,23,358	
	जमा: अभिदाता के खातों में जमा ब्याज -		92,23,358	जमा: ऑटो स्वीप पुनर्निवेश पर ब्याज -	92,23,358
	6,04,368				
	घटा: एनएसडीएल को अंतरित -		1,00,082	31.03.2025 को ऑटो स्वीप पर प्रोदभूत ब्याज	1,10,088
6,04,368	जमा: मार्च 2024 का अभिदान+वि.वि. अंशदान -	6,04,368		आयकर विभाग से रिफंड के ब्याज से वसूला गया कर	10,007
	व्यय से आय की अधिकता				
	31/03/2024 को शेष 1,18,01,069		30,81,997	31/03/2025 को अंत शेष	38,20,398
1,18,01,069	जमा: वर्ष के दौरान 7,58,414	1,25,59,483			
1,24,05,437	कुल	1,31,63,851	1,24,05,437	कुल	1,31,63,851

अनुभाग अधिकारी (लेखा)

संयुक्त कुलसचिव (वित्त)

वित्त अधिकारी

एनपीएस टियर-1 खाता
वित्त वर्ष 2024-25 का आय तथा व्यय खाता

राशि रु. में

राशि 31 मार्च 24	व्यय	राशि 31 मार्च 25	राशि 31 मार्च 24	आय	राशि 31 मार्च 25
7,09,092	- बैंक प्रभार व्यय से आय की अधिकता	118 7,58,414	7,09,092	बचत एवं ऑटो स्वीप खाते पर अर्जित ब्याज 7,38,519 जमा: 31-03-2025 को स्वीप खाते पर प्रोदभूत ब्याज 1,10,088 जमा: ऑटो स्वीप से कटौती किया गया कर/ब्याज 10,007 8,58,614 घटा: 31/03/2024 को प्रोदभूत ब्याज 1,00,082	7,58,532
7,09,092	कुल	7,58,532	7,09,092	कुल	7,58,532

11/3/25
अनुभाग अधिकारी (लेखा)

श्री. अ.
संयुक्त कुलसचिव (वित्त)

सुमन कुमार
वित्त अधिकारी

एनपीएस टियर-1 खाता
वित्त वर्ष 2024-25 के लिए प्राप्ति एवं भुगतान खाता

राशि रु. में					
पिछला वर्ष	प्राप्ति	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	भुगतान	चालू वर्ष
23,74,377	01.04.2024 को आदि शेष	30,81,997	0	बैंक प्रभार	118.00
92,23,358	31.03.2024 को ऑटो स्वीप	92,23,358	92,23,358	ऑटो स्वीप निवेश	92,23,358
69,127	ऑपरेटिव बचत खाता में जमा ब्याज	1,06,919	30,81,997	31.03.2025 को अंत शेष	38,20,398
-	प्राप्त कर				
6,38,493	ऑटो स्वीप निवेश पर ब्याज	6,31,600			
1,23,05,355	कुल	1,30,43,874	1,23,05,355	कुल	1,30,43,874

महेश्वर
अनुभाग अधिकारी (लेखा)

श्री. अ.
संयुक्त कुलसचिव (वित्त)

सुमन कुमारी
वित्त अधिकारी

लेखाओं के लेखा-परीक्षा

प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित प्रथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद है । यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा ।

31 मार्च, 2025 को समाप्त हुए वर्ष के लिए जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के लेखाओं की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट।

क. तुलन पत्र

क.1 निधि के स्रोत

क.1.1 उद्दिष्ट/चिह्नित अक्षय निधि (अनुसूची-2) - ₹256.03 करोड़

विश्वविद्यालय समग्र निधि (कॉर्पस फंड) के अंतर्गत अंतर्शेष राशि में ₹ 95.53 करोड़ शामिल हैं। अनुसूची-23 विश्वविद्यालय की प्रमुख लेखाकरण नीतियाँ (8.1) के अनुसार, इस निधि में क्रेडिट हुए आय के स्रोतों में केवल कॉलेजों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों से प्राप्त मान्यता/संबद्धता शुल्क, विश्वविद्यालय के हिस्से का परामर्श शुल्क, शोध परियोजनाओं से प्राप्त अंशदान, तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त समान अंशदान राशि, केवल वित्त वर्ष 2006-07 तक प्राप्त, शामिल हैं। इस नीति के विपरीत, वर्ष के दौरान प्राप्त नामांकन शुल्क (₹2.44 करोड़), पंजीकरण शुल्क (₹1.44 करोड़), तथा डिग्री सत्यापन/माइग्रेशन/ट्रांसक्रिप्ट शुल्क (₹6.87 करोड़) सहित कुल ₹10.75 करोड़ की राशि जो एकरूप लेखा प्रारूप के अनुसार राजस्व प्राप्तियाँ के रूप में वर्गीकृत हैं और जिसे विश्वविद्यालय की आय खाते में दर्ज किया जाना चाहिए था, वर्ष के दौरान इसे कॉर्पस निधि में अनुचित रूप से समायोजित किया गया। इससे 10.75 करोड़ रु. तक आय और पूंजीगत निधि दोनों में न्यूनबयानी (अंडरस्टेटमेंट) तथा उद्दिष्ट चिह्नित/अक्षयनिधि में अधिकबयानी (ओवरस्टेटमेंट) हुई है।

ख. सामान्य

ख.1 31.03.2025 को परिसंपत्ति में कुल ₹1.32 करोड़ दर्शाए गए हैं, जिसमें निवेश, संचित ब्याज, वसूली योग्य टीडीएस और एनपीएस तुलन पत्र में बचत बैंक खातों में शेष राशि शामिल है, जबकि इसके निमित्त ₹6.04 लाख की देयता दर्शाई गई है। चूंकि, यह राशि अभिदाता की है, इसका उचित प्रकटन जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखा विवरणों में किया जाना चाहिए था। इसके अतिरिक्त, एनपीएस बैलेंस शीट में दर्शाई गई परिसंपत्तियों और देयताओं का उचित समाधान जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा किया जाना चाहिए और एनपीएस नियमों तथा सरकार/पीएफआरडीए के निर्देशों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जानी चाहिए।

ख.2 वार्षिक लेखा के अनुसार पूंजीगत चालू कार्य का अथशेष ₹89.06 करोड़ दर्शाया गया था, लेकिन इन कार्यों का कार्य-वार विवरण ऑडिट को प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त, वार्षिक लेखा के अनुसार पूंजीगत चालू कार्य का अंतर्शेष शेष ₹96.04 करोड़ था, जबकि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की इंजीनियरी शाखा से प्राप्त जानकारी के अनुसार 31 मार्च 2025 तक ₹28.08 करोड़ के कार्य प्रगति

पर हैं। शेष ₹67.96 करोड़ का समाधान और स्पष्टता ऑडिट को उपलब्ध नहीं कराया गया जिसके अभाव में ऑडिट द्वारा इसकी सत्यापन नहीं किया जा सका।

ग. **प्रबंधन पत्र:** जिन कमियों को पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है, उन्हें उपचारात्मक/सुधारात्मक कार्रवाई हेतु अलग से जारी किए गए प्रबंधन पत्र के माध्यम से प्रबंधन के ध्यान में लाया गया है।

घ. **आंतरिक नियंत्रण-तंत्र का मूल्यांकन:**

(i) **आंतरिक नियंत्रण-तंत्र की पर्याप्तता:** विश्वविद्यालय के आंतरिक नियंत्रण-तंत्र को निम्नलिखित क्षेत्रों में सुदृढ़ करने की आवश्यकता है:-

- बैंक समाधान विवरणों पर अनुवर्ती कार्रवाई। 39.17 करोड़ रुपये की राशि बैंक द्वारा क्रेडिट की गई राशि है, लेकिन रोकड़ बही में दर्ज नहीं की गई। इस तरह, 39.17 करोड़ रुपये की राशि अकाउंट से बाहर रह गई है। कुछ धनराशि बहुत पुरानी है और 2016 से मौजूद है।
- सांविधिक लेखापरीक्षा आपत्तियों पर प्रबंधन का उत्तर प्रभावी नहीं है क्योंकि दिनांक: 31.03.2025 को वर्ष 2003-04 से 2022-23 की अवधि के दौरान 57 बाह्य लेखापरीक्षा पैरा बकाया थे।
- वर्ष के अंत में कैशबुक आरबीआई कैपिटल एसेट अकाउंट नंबर 10671301063, आरबीआई सैलरी और आरबीआई रिकरिंग कैश बुक को बंद न करना।

(ii) **आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध की पर्याप्तता:**

- वर्ष 2024-25 तक जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की लेखापरीक्षा तक उसके अपने आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध द्वारा की गई है।
- वर्ष 2024-2025 के दौरान 25 यूनिट्स की लेखापरीक्षा की योजना बनाई गई थी, जिनमें से 19 यूनिट्स की आंतरिक लेखापरीक्षा की गई है।
- आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध पैरा द्वारा अनुवर्ती कार्रवाई अपर्याप्त है क्योंकि 31.03.2025 तक 481 आंतरिक लेखापरीक्षा पैरा बकाया थे।

(iii) **स्थायी परिसंपत्ति का प्रत्यक्ष सत्यापन तंत्र:**

- पुस्तकों तथा शोध-पत्रिकाओं सहित स्थायी परिसंपत्ति का प्रत्यक्ष सत्यापन 2024-25 तक किया जा चुका है। तथापि, 31 मार्च 2025 तक स्थायी परिसंपत्ति के अंतर्शेष की सत्यापन रिपोर्ट केवल सेंट्रल स्टोर के संबंध में ऑडिट को दी गई थी। वार्षिक लेखा के अनुसार, पुस्तकालय की पुस्तकों

और शोध-पत्रिकाओं को छोड़कर, 275.13 करोड़ रुपये की स्थायी परिसंपत्ति मौजूद हैं। सभी सत्यापन रिपोर्ट के अभाव में इन मौजूद परिसंपत्तियों का सत्यापन नहीं किया सका।

- पुस्तकों और प्रकाशन सामग्री का नमूना प्रत्यक्ष सत्यापन 2024-25 तक किया गया।

(iv) वस्तुसूची का प्रत्यक्ष सत्यापन तंत्र

वस्तुसूची यथा-लेखन सामग्री एवं उपभोज्य वस्तुओं का प्रत्यक्ष सत्यापन 31.03.2025 तक किया गया है।

(v) सांविधिक देय राशि के भुगतान में नियमितता

दिनांक: 31.03.2025 की स्थिति के अनुसार 6 माह से अधिक की कोई सांविधिक देय राशि बकाया नहीं थी।

ड सहायक अनुदान राशि

वर्ष 2024-25 के लेखाओं के अनुसार, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय(जेएनयू) को 605.42 करोड़ रुपए की सहायक अनुदान राशि (अनावर्ती 26.18 करोड़ रु. पूर्व अवधि का अनावर्ती-1.28 करोड़ रुपए तथा आवर्ती 577.96 करोड़ रुपए) की राशि प्राप्त हुई। इसके पास 43.26 करोड़ रुपए की अनावर्ती अनुदान राशि का अथशेष था। 648.68 करोड़ रु की उपलब्ध राशि में से वर्ष के दौरान विश्वविद्यालय ने 624.14 करोड़ (अनावर्ती: 29.86 करोड़ एवं आवर्ती: 594.28 करोड़) का उपयोग किया तथा 3.07 करोड़ रुपए की अनुदान राशि (अनावर्ती: 0.26 करोड़ और आवर्ती: 2.81 करोड़ रुपए) लौटाई/व्यपगत हो गई। इस प्रकार, दिनांक: 31 मार्च, 2025 को 21.47 करोड़ रु. की राशि अंत शेष रही।

**31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के
लेखाओं की पृथक ऑडिट रिपोर्ट के उत्तर**

क. तुलन पत्र

क.1 निधि के स्रोत

क.1.1 उद्दिष्ट चिह्नित/अक्षयनिधि (अनुसूची-2) - ₹ 256.03 करोड़

विश्वविद्यालय समग्र निधि (कॉर्पस फंड) के अंतर्गत अंतशेष राशि में ₹ 95.53 करोड़ शामिल हैं। अनुसूची-23 विश्वविद्यालय की प्रमुख लेखाकरण नीतियाँ (8.1) के अनुसार, इस निधि में क्रेडिट हुए आय के स्रोतों में केवल कॉलेजों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों से प्राप्त मान्यता/संबद्धता शुल्क, विश्वविद्यालय के हिस्से का परामर्श शुल्क, शोध परियोजनाओं से प्राप्त अंशदान, तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त समान अंशदान राशि, केवल वित्त वर्ष 2006-07 तक प्राप्त, शामिल हैं। इस नीति के विपरीत, वर्ष के दौरान प्राप्त नामांकन शुल्क (₹2.44 करोड़), पंजीकरण शुल्क (₹1.44 करोड़), तथा डिग्री सत्यापन/माइग्रेशन/ट्रांसक्रिप्ट शुल्क (₹6.87 करोड़) सहित कुल ₹10.75 करोड़ की राशि जो एकरूप लेखा प्रारूप के अनुसार राजस्व प्राप्तियाँ के रूप में वर्गीकृत हैं और जिसे विश्वविद्यालय की आय खाते में दर्ज किया जाना चाहिए था, वर्ष के दौरान इसे कॉर्पस निधि में अनुचित रूप से समायोजित किया गया। इससे 10.75 करोड़ रु. तक आय और पूंजीगत निधि दोनों में न्यूनबयानी (अंडरस्टेटमेंट) तथा उद्दिष्ट चिह्नित/अक्षयनिधि में अधिकबयानी (ओवरस्टेटमेंट) हुई है।

विश्वविद्यालय का उत्तर:

कॉर्पस निधि के तहत राशि के गलत वर्गीकरण के बारे में टिप्पणी (ऑब्जर्वेशन) सही नहीं है। 18 मार्च 1998 और 5 नवंबर 1998 के कार्य परिषद के संकल्प द्वारा कॉर्पस निधि स्थापित करने की औपचारिक मंजूरी दी थी, जिसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने विधिवत समर्थन किया था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की संसाधन मोबिलाइजेशन प्रोत्साहन योजना के तहत, दसवीं और ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि (2003-04 से 2010-11) में समान अंशदान राशि का भुगतान किया गया है।

ऊपर उल्लिखित कार्य परिषद संकल्प के पैरा 5.15 के अनुसार, कॉर्पस निधि की आय के स्रोत में मान्यताप्राप्त संस्थान से प्राप्त होने वाला अंशदान, रॉयल्टी, कंसल्टेंसी फीस आदि शामिल हैं। ₹10.75 करोड़ (नामांकन, पंजीकरण तथा डिग्री सत्यापन/माइग्रेशन/ट्रांसक्रिप्ट शुल्क) की राशि संबद्ध मान्यताप्राप्त संस्थानों से प्राप्त हुई और इसलिए यह राशि पूरी तरह से निर्धारित स्रोत क्षेत्र में आती है।

तदनुसार, लेखाकरण ट्रीटमेंट संस्वीकृत नीति के अनुसार है और आय या पूंजीगत निधि को कम नहीं दर्शाया गया है, और न ही चिह्नित अक्षय निधि को अधिक दर्शाया गया है।

ख. सामान्य

ख.1 31.03.2025 को कुल ₹1.32 करोड़ परिसंपत्ति के अंतरगत दर्शाए गए हैं, जिसमें निवेश, संचित ब्याज, वसूली योग्य टीडीएस और बचत बैंक खातों में शेष राशि शामिल है। तथापि, संगत रिकॉर्ड की जांच और पुष्टि के अनुसार 6.04 लाख रुपए इन निवेशों के निमित्त वास्तविक देयताओं से संबंधित हैं। चूंकि, यह देयता किसी भी पक्ष को देय नहीं है और यह कोई वैध दावा नहीं है। इसलिए इसे विश्वविद्यालय के खातों में आय माना जाना चाहिए। इस राशि को आय के रूप में मान्यता न दिए जाने के परिणामस्वरूप विश्वविद्यालय की पूंजीगत निधि और चालू परिसंपत्तियों में 1.26 करोड़ रुपये की कमी आई है।

विश्वविद्यालय का उत्तर:

लेखापरीक्षा को अनुपालन हेतु नोट कर लिया गया है।

ख.2 वार्षिक लेखा के अनुसार पूंजीगत चालू कार्य का अथशेष ₹89.06 करोड़ दर्शाया गया था, लेकिन इन कार्यों का कार्य-वार विवरण ऑडिट को प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त, वार्षिक लेखा के अनुसार पूंजीगत चालू कार्य का अंतशेष शेष ₹96.04 करोड़ था, जबकि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की इंजीनियरी शाखा से प्राप्त जानकारी के अनुसार 31 मार्च 2025 तक ₹28.08 करोड़ के कार्य प्रगति पर हैं। शेष ₹67.96 करोड़ का समाधान और स्पष्टता ऑडिट को उपलब्ध नहीं कराया गया जिसके अभाव में ऑडिट द्वारा इसकी सत्यापन नहीं किया जा सका।

विश्वविद्यालय का उत्तर:

विश्वविद्यालय ने वित्त वर्ष 2024-25 में रु. 75,30,162/- (डेबिट 1,93,55,000/- और क्रेडिट 2,68,85,162) के निवल मूल्य के पूंजीगत चालू कार्य (सीडब्ल्यूआईपी) में सुधार कर दिया है। लेखापरीक्षा टिप्पणी को अनुपालन के लिए नोट कर लिया गया है, और वित्त वर्ष 2025-26 में इंजीनियरी विभाग के रिकॉर्ड्स को लेखा विभाग से मिलान किया जाएगा।

ग. प्रबंधन पत्र: जिन कमियों को लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है, उन्हें उपचारात्मक/सुधारात्मक कार्रवाई हेतु अलग से जारी किए गए प्रबंधन पत्र के माध्यम से जेएनयू के कुलगुरु के ध्यान में लाया गया है।

घ. आंतरिक नियंत्रण-तंत्र का मूल्यांकन:

(i) **आंतरिक नियंत्रण-तंत्र की पर्याप्तता:** विश्वविद्यालय के आंतरिक नियंत्रण-तंत्र को निम्नलिखित क्षेत्रों में सुदृढ़ करने की आवश्यकता है:-

- बैंक समाधान विवरणों पर अनुवर्ती कार्रवाई। 39.17 करोड़ रुपये की राशि बैंक द्वारा क्रेडिट की गई राशि है, लेकिन रोकड़ बही में दर्ज नहीं की गई। इस तरह, 39.17 करोड़ रुपये की राशि अकाउंट से बाहर रह गई है। कुछ धनराशि बहुत पुरानी है और 2016 से मौजूद है।
- सांविधिक लेखापरीक्षा आपत्तियों पर प्रबंधन का उत्तर प्रभावी नहीं है क्योंकि दिनांक: 31.03.2025 को वर्ष 2003-04 से 2022-23 की अवधि के दौरान 57 बाह्य लेखापरीक्षा पैरा बकाया थे।
- वर्ष के अंत में कैशबुक आरबीआई कैपिटल एसेट एकाउंट नंबर 10671301063, आरबीआई सैलरी और आरबीआई रिकरिंग कैश बुक को बंद न करना।

विश्वविद्यालय का उत्तर:

आंतरिक लेखापरीक्षा ने संबंधित विभागों को बकाया पैराग्राफ पर अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए पहले ही अनुस्मारक भेज दिए हैं ताकि इनका निपटान किया जा सके।

(ii) **आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध तंत्र की पर्याप्तता:**

वर्ष 2024-25 तक जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की लेखापरीक्षा तक उसके अपने आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध द्वारा की गई है।

- वर्ष 2024-2025 के दौरान 25 यूनिट्स की लेखापरीक्षा की योजना बनाई गई थी, जिनमें से 19 यूनिट्स की आंतरिक लेखापरीक्षा की गई है।
- आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध पैरा द्वारा अनुवर्ती कार्रवाई अपर्याप्त है क्योंकि 31.03.2025 तक 481 आंतरिक लेखापरीक्षा पैरा बकाया थे।

विश्वविद्यालय का उत्तर:

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, 25 अनुभागों की लेखापरीक्षा करने की योजना बनाई गई थी; लेकिन, आंतरिक लेखापरीक्षा अनुभाग-II और अनुभाग-III में स्टाफ की कमी के कारण केवल 19 यूनिटों की ही लेखापरीक्षा की गई।

आंतरिक लेखापरीक्षा ने संबंधित विभागों को बकाया पैराग्राफ पर अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए पहले ही अनुस्मारक भेज दिए हैं तथा अभी तक उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं।

(iii) **स्थायी परिसंपत्ति का प्रत्यक्ष सत्यापन तंत्र:**

- पुस्तकों तथा शोध-पत्रिकाओं सहित स्थायी परिसंपत्ति का प्रत्यक्ष सत्यापन 2024-25 तक किया जा चुका है। तथापि, 31 मार्च 2025 तक स्थायी परिसंपत्ति के अंतर्शेष की सत्यापन रिपोर्ट केवल सेंट्रल स्टोर के संबंध में ऑडिट को दी गई थी। वार्षिक लेखा के अनुसार, पुस्तकालय की पुस्तकों और शोध-पत्रिकाओं को छोड़कर, 275.13 करोड़ रुपये की स्थायी परिसंपत्ति मौजूद हैं। सभी सत्यापन रिपोर्ट के अभाव में इन मौजूद परिसंपत्तियों का सत्यापन नहीं किया सका।
- पुस्तकों और प्रकाशन सामग्री का नमूना प्रत्यक्ष सत्यापन 2024-25 तक किया गया।

विश्वविद्यालय का उत्तर:

आंतरिक लेखापरीक्षा ने वास्तविक सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए संबंधित अनुभागों को पहले ही अनुस्मारक भेज दिए हैं। इसे अगली लेखापरीक्षा टीम को दिखाया जाएगा।

कोई टिप्पणी नहीं।

(iv) वस्तुसूची का प्रत्यक्ष सत्यापन तंत्र

वस्तुसूची यथा-लेखन सामग्री एवं उपभोज्य वस्तुओं का प्रत्यक्ष सत्यापन 31.03.2025 तक किया गया है।

विश्वविद्यालय का उत्तर:

कोई टिप्पणी नहीं।

(v) सांविधिक देय राशि के भुगतान में नियमितता

दिनांक: 31.03.2025 की स्थिति के अनुसार 6 माह से अधिक की कोई सांविधिक देय राशि बकाया नहीं थी।

विश्वविद्यालय का उत्तर:

कोई टिप्पणी नहीं।

ड सहायक अनुदान राशि

वर्ष 2024-25 के लेखा के अनुसार, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) को 605.42 करोड़ रुपए की सहायक अनुदान राशि (अनावर्ती 26.18 करोड़ रु., पूर्व अवधि का अनावर्ती-1.28 करोड़

रुपए तथा आवर्ती 577.96 करोड़ रुपए) की राशि प्राप्त हुई। इसके पास 43.26 करोड़ रुपए की अनावर्ती अनुदान राशि का अथशेष था। 648.68 करोड़ रु की उपलब्ध राशि में से वर्ष के दौरान विश्वविद्यालय ने 624.14 करोड़ (अनावर्ती: 29.86 करोड़ एवं आवर्ती: 594.28 करोड़) का उपयोग किया तथा 3.07 करोड़ रुपए की अनुदान राशि (अनावर्ती: 0.26 करोड़ और आवर्ती: 2.81 करोड़ रुपए) लौटाई/व्यपगत हो गई। इस प्रकार, दिनांक: 31 मार्च, 2025 को 21.47 करोड़ रु. की राशि अंतशेष रही।

विश्वविद्यालय का उत्तर

लेखापरीक्षा द्वारा उल्लिखित आंकड़े अनावर्ती/आवर्ती अनुदान के वास्तविक आंकड़े हैं और अनुसूची-10 अनुदान / सहायिकी से मेल खाते हैं।